छत्तीसगढ़ विधान सभा

(पंचम)

खण्ड – 12

दिसम्बर–जनवरी, 2022–23 सत्र

के

प्रश्नों के पूर्ण उत्तर

(दिनांक 02 मार्च, 2023 को सदन में प्रस्तुत)

(एक)

(प्रस्तावना)

छत्तीसगढ़ विधान सभा प्रक्रिया एवं कार्यसंचालन नियमावली के अध्याय–7 के नियम–51 के अनुसार इस संकलन में दिसम्बर–जनवरी, 2022–23 सत्र हेतु नियत बैठकों की प्रश्नोत्तर सूचियों में मुद्रित अपूर्ण उत्तरों का संबंधित विभागों द्वारा प्रेषित पूर्ण उत्तरों का संकलन सम्मिलित किया गया है। साथ ही यथासमय प्राप्त पृथक वितरित एवं पुनरीक्षित उत्तरों को भी मुद्रित कराया गया है ।

शासन द्वारा पूर्व में दी गयी जानकारी बड़े कोष्टक [.........................] के अंदर मुद्रित है । इस संकलन में सामान्य प्रशासन, वन एवं जलवायु परिवर्तन, आवास एवं पर्यावरण वाणिज्य एवं उद्योग, खेल एवं युवा कल्याण, कृषि विकास एवं किसान कल्याण तथा जैव प्रौद्योगिकी, महिला एवं बाल विकास, तथा आदिम जाति तथा अनुसूचित जाति विकास, पिछड़ा वर्ग एवं अल्पसंख्यक विकास विभाग के प्रश्न एवं यथासमय विभागों से प्राप्त प्रश्नों के उत्तर में संशोधन तथा प्रश्नोत्तर सूची के शुद्धि पत्रों की सूची सम्मिलित की गयी हैं।

रायपुर, **दिनेश शर्मा**

दिनांक : 27 फरवरी, 2023 सचिव

विषय सूची

क्रमांक	विषय	पृष्ठ संख्या
1.	दिसम्बर–जनवरी, 2022–23 सत्र से संबंधित प्रश्नोत्तर	1–14
2.	दिसम्बर–जनवरी, 2022–23 सत्र के प्रश्नोत्तरों से संबंधित परिशिष्ट	15–41
3.	दिसम्बर–जनवरी, 2022–23 सत्र में प्राप्त प्रश्नों के उत्तर में संशोधन तथा प्रश्नोत्तर सूची से संबंधित शुद्धि पत्रों की सूची तथा छायाप्रति	42–54

दिसंबर-जनवरी, 2022-23 सत्र से संबंधित प्रश्नोत्तर

शहीद स्मारक तथा कृष्ण कुंज की स्थापना तथा विधायक आदर्श ग्राम योजना संबंधी
[सामान्य प्रशासन]

1. (क्र. 80) श्री अजय चन्द्राकर : क्या मुख्यमंत्री , यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) प्रदेश में कौन-कौन से जिले में, कितने शहीद स्मारक एवं कृष्ण कुंज की स्थापना करने का लक्ष्य है और प्रश्नावधि में कितने की स्थापना कर दी गयी है? और कितनी शेष है तथा पूर्ण स्थापना करने की समयावधि क्या तय की गयी है? (ख) विधायक आदर्श ग्राम योजना क्या है? इसका उद्देश्य व प्रारंभ कब से की गयी है? तथा इसके अंतर्गत क्या-क्या कार्ययोजना बनायी गयी है? प्रदेश में कुल कितने विधायक आदर्श ग्राम बनाये जा चुके है और कितना शेष है? इस योजना का प्रतिनिधित्व कौन करता है?

मुख्यमंत्री(श्री भूपेश बघेल) : [(क) जानकारी संकलित की जा रही है।(ख) जानकारी संकलित की जा रही है।**]** (क) प्रदेश के नगरीय निकायों में शहीद स्मारक हेतु लक्ष्य निर्धारित नहीं किया गया है, **विवरण संलग्न प्रपत्र ''अ''** में दर्शित है तथा कृष्ण कुंज के संबंध में **विवरण संलग्न प्रपत्र ''ब''** में दर्शित है। (ख) सांसद आदर्श ग्राम योजना के तर्ज पर छ.ग. राज्य में विधायक आदर्श ग्राम योजना प्रारंभ की गई, जिसके तहत प्रदेश के प्रत्येक माननीय विधायक द्वारा एक-एक पंचायत का चयन योजना हेतु किया जाता है। विधायक आदर्श ग्राम योजना का उद्देश्य अधोसंरचना विकास के अलावा, गांव की जनता के मन में कतिपय नैतिक भावनाएं उत्पन्न करना है, ताकि वे अन्य लोगो के लिए मॉडल बन सकें। माननीय प्रधानमंत्री जी द्वारा 29 अक्टूबर, 2014 को किए गए आव्हान के उपरांत दिसंबर, 2014 से इसकी पहल की गई। अब तक चयनित 227 ग्रामों की कार्ययोजना में 10426 कार्यो को शामिल किया गया हैं, जिसमे लिये गये कार्य विभागों की योजनाओं के अभिसरण से कराये जाते हैं। योजना आरंभ से प्रदेश में माननीय विधायकों द्वारा अपने कार्यकाल में चयनित 227 ग्रामों मे से 52 ग्रामों में उनकी कार्य योजना में शामिल कार्यो को पूर्णतः संपादित किया जा चुका है। आदर्श ग्राम की परिकल्पना में वैयक्तिक, आर्थिक, सामाजिक एवं मानव विकास के विभिन्न मापदण्डों का समग्र विकास शामिल है, जिसे माप किया जाना दुष्कर कार्य है। अतः कितने आदर्श ग्राम बनाये जा चुके है व कितने शेष है, की गणना व माप किया जाना निर्धारित समयावधि में असंभव है। योजना के प्रतिनिधित्व हेतु राज्य स्तर पर मुख्य सचिव की अध्यक्षता में एक अधिकार प्राप्त समिति एवं जिला स्तर पर जिला कलेक्टर को नोडल अधिकारी के रूप में भूमिका के निर्वहन का लेख है।

परिशिष्ट एक -

मुख्यमंत्री स्वास्थ्य स्लम योजना के अंतर्गत मोबाईल मेडिकल यूनिट का संचालन
[नगरीय प्रशासन एवं विकास]

2. (क्र. 84) श्री अजय चन्द्राकर : क्या नगरीय प्रशासन मंत्री , यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) प्रश्नावधि तक प्रदेश में कितने मोबाइल मेडिकल यूनिट संचालित हैं, जिलावार बतायें? इसके अंतर्गत मोबाईल मेडिकल यूनिट में किस स्तर के, कितने चिकित्सक कार्यरत हैं? तथा दिनांक 10/11/2021 से 30/07/2022 तक की दैनिक उपस्थिति की जानकारी निष्ठा एप्प के अनुसार बतायें? (ख) स्व. श्री बलीराम कश्यम मेमोरियल चिकित्सा महाविद्यालय, जगदलपुर में कितने चिकित्सक कार्यरत हैं ? इन सभी चिकित्सकों की दिनांक 10/11/2022 तक की दैनिक उपस्थिति एवं रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट सहित बतायें?

नगरीय प्रशासन मंत्री(श्री शिव कुमार डहरिया) : [(क) प्रदेश में मुख्यमंत्री स्लम स्वास्थ्य योजना अंतर्गत प्रश्नावधि तक जिला अरबन पब्लिक सर्विस सोसायटियों(यूपीएसएस) द्वारा कुल 120 मोबाइल मेडिकल यूनिट संचालित है। जिसमें न्यूनतम एमबीबीएस स्तर के चिकित्सक मोबाइल मेडिकल यूनिट में कार्यरत है। जिसकी संख्या 120 है। जिलावार संचालित एमएमयू तथा चिकित्सकों की जानकारी **पुस्तकालय में रखे प्रपत्र 'अ' अनुसार है।** दिनांक 10.11.2021 से 30 जुलाई 2022 तक दैनिक उपस्थिति की जानकारी **पुस्तकालय** में रखे **प्रपत्र ब अनुसार है।** (ख) स्व. श्री बलीराम कश्यप मेमोरियल चिकित्सा महाविद्यालय, जगदलपुर में 188 चिकित्सक कार्यरत है। जिसमें से 166 चिकित्सकों के रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट है। 18 एम.एस.सी चिकित्सकों का पंजीयन मेडिकल कॉउन्सिल में रजिस्ट्रेशन नहीं होता है। इसके अतिरिक्त शासकीय अनुबंध सेवा में 24 चिकित्सक कार्यरत है, जिनमें 04 चिकित्सकों द्वारा प्रोव्हिजनल सर्टिफिकेट जमा नहीं किया गया है। चिकित्सकों की दैनिक उपस्थिति पत्रक एवं रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट की जानकारी **पुस्तकालय में रखे प्रपत्र स अनुसार है।]** (क) प्रदेश में मुख्यमंत्री स्लम स्वास्थ्य योजना अंतर्गत प्रश्नावधि तक जिला अरबन पब्लिक सर्विस सोसायटियों(यूपीएसएस) द्वारा कुल 120 मोबाइल मेडिकल यूनिट संचालित है। जिसमें न्यूनतम एमबीबीएस स्तर के चिकित्सक मोबाइल मेडिकल यूनिट में कार्यरत है। जिसकी संख्या 120 है। जिलावार संचालित एमएमयू तथा चिकित्सकों की जानकारी **पुस्तकालय में रखे प्रपत्र 'अ' अनुसार है।** दिनांक 10.11.2021 से 30 जुलाई 2022 तक दैनिक उपस्थिति की जानकारी **पुस्तकालय** में रखे **प्रपत्र ब अनुसार है।**
(ख) स्व. श्री बलीराम कश्यप मेमोरियल चिकित्सा महाविद्यालय, जगदलपुर में 188 चिकित्सक कार्यरत है। जिसमें से 166 चिकित्सकों के रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट है। 18 एम.एस.सी चिकित्सकों का पंजीयन मेडिकल कॉउन्सिल में रजिस्ट्रेशन नहीं होता है। इसके अतिरिक्त शासकीय अनुबंध सेवा में 24 चिकित्सक कार्यरत है, जिनमें 04 चिकित्सकों द्वारा प्रोव्हिजनल सर्टिफिकेट जमा नहीं किया गया है। चिकित्सकों की दैनिक उपस्थिति पत्रक एवं रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट की जानकारी **पुस्तकालय में रखे प्रपत्र स अनुसार है।** **[पुनरीक्षित उत्तर]**

प्रदेश में गौठान निर्माण एवं गौ-मूत्र खरीदी
[कृषि विकास एवं किसान कल्याण तथा जैव प्रौद्योगिकी]

3. (क्र. 89) श्री अजय चन्द्राकर : क्या कृषि मंत्री , यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) प्रदेश में 1 जनवरीश्, 2019 से प्रश्नावधि तक कितने नवीन गौठान बनाये गये हैं उनमें कितनी राशि व्यय हुयी और उसके निर्माण के लिये कितना बजट प्रावधान था ताथ बजट के अतिरिक्त किन-किन मदों से कितनी राशि व्यय हुयी है? (ख) सक्रिय और आत्मनिर्भर गौठान से आशय क्या है ? इनके लिये शासन/विभाग ने क्या परिभाषाएं तय की हैं और इसमें कौन-कौन सी गति विधियों का संचालन होता है ? (ग) गौ-मूत्र खरीदी शुरू होने के बाद 30 नवम्बर, 2022 तक शासन/विभाग द्वारा कितनी मात्रा में, किन-किन मदों से , कितनी राशि की गौ-मूत्र खरीदी की गयी है? उनसे क्या-क्या उत्पाद बनाये गये और उनसे कितनी राशि प्राप्त हुयी तथा उस राशि का क्या उपयोग किया गया?

कृषि मंत्री(श्री रविन्द्र चौबे) : [(क) प्रदेश में 01 जनवरी 2019 से नवंबर 2022 तक 9,716 नवीन गोठान बनाये गए हैं। गोठान निर्माण हेतु पृथक से बजट का प्रावधान नहीं है अपितु विभिन्न विभागों में उपलब्ध राशि से अभिसरण कर गोठान निर्माण हेतु राशि व्यय की जाती है, प्रश्नाधीन अवधि में गोठान निर्माण हेतु राशि रु. 92,226.851 लाख व्यय किया गया है । मदवार व्यय राशि की **जानकारी संलग्न प्रपत्र – अ अनुसार** है । (ख) सक्रिय गोठान का आशय ऐसे गोठान से है जिनमे गोबर क्रय, कम्पोस्ट निर्माण जैसी गतिविधियाँ निरंतर हो रही हो । आत्मनिर्भर गोठान से अभिप्राय ऐसे गोठानो से है जो अपने परिचालन व्यय के राशि हेतु किसी शासकीय अनुदान पर निर्भर ना हो तथा संबंधित गोठान समिति एवं स्व-सहायता समूहों को आय प्राप्त हो रही हो । सक्रिय एवं आत्मनिर्भर गोठान के लिए पृथक से कोई परिभाषा तय नहीं है। गोठान में संचालित विभिन्न

गतिविधियों की **जानकारी संलग्न प्रपत्र – ब अनुसार** है । (ग) शासन/विभाग अथवा विभाग द्वारा गौमूत्र खरीदी नही की जाती है अपितु गौमूत्र का क्रय गौठान प्रबंधन समिति द्वारा स्वयं के बैंक खाते में उपलब्ध गोधन न्याय योजना अंतर्गत प्राप्तियां चक्रीय निधि, ब्याज की राशि आदि से की जाती है। गौ-मूत्र खरीदी शुरू होने के बाद 30 नवम्बर 2022 तक गौठान प्रबंधन समितियों द्वारा कुल 1,00,708 लीटर मात्रा में राशि रू. 4,02,832/- की गौ-मूत्र खरीदी की गयी है। क्रय गौमूत्र से स्व-सहायता समूहों द्वारा ब्रम्हास्त्र(जैविक कीट नियंत्रक)एवं जीवामृत(वृद्धिवर्धक)उत्पाद बनाये गये। उत्पाद विक्रय से राशि रूपये 2,031,042/- प्राप्त हुई तथा उक्त राशि का उपयोग गौठान प्रबंधन समिति एवं स्व-सहायता समूहों द्वारा लागत व्यय एवं लाभांश में किया गया।]
(क) प्रदेश में 01 जनवरी 2019 से नवंबर 2022 तक 9,716 नवीन गोठान बनाये गए हैं। गोठान निर्माण हेतु पृथक से बजट का प्रावधान नहीं है अपितु विभिन्न विभागों में उपलब्ध राशि से अभिसरण कर गोठान निर्माण हेतु राशि व्यय की जाती है, प्रश्नाधीन अवधि में गोठान निर्माण हेतु राशि रु. 92,226.851 लाख व्यय किया गया है । मदवार व्यय राशि की **जानकारी संलग्न प्रपत्र – अ अनुसार** है । (ख) सक्रिय गोठान का आशय ऐसे गोठान से है जिनमे गोबर क्रय, कम्पोस्ट निर्माण जैसी गतिविधियाँ निरंतर हो रही हो । आत्मनिर्भर गोठान से अभिप्राय ऐसे गोठानो से है जो अपने परिचालन व्यय के राशि हेतु किसी शासकीय अनुदान पर निर्भर ना हो तथा संबंधित गोठान समिति एवं स्व-सहायता समूहों को आय प्राप्त हो रही हो । सक्रिय एवं आत्मनिर्भर गोठान के लिए पृथक से कोई परिभाषा तय नहीं है। गोठान में संचालित विभिन्न गतिविधियों की **जानकारी संलग्न प्रपत्र – ब अनुसार** है । (ग) शासन/विभाग अथवा विभाग द्वारा गौमूत्र खरीदी नही की जाती है अपितु गौमूत्र का क्रय गौठान प्रबंधन समिति द्वारा स्वयं के बैंक खाते में उपलब्ध गोधन न्याय योजना अंतर्गत प्राप्तियां चक्रीय निधि, ब्याज की राशि आदि से की जाती है। गौ-मूत्र खरीदी शुरू होने के बाद 30 नवम्बर 2022 तक गौठान प्रबंधन समितियों द्वारा कुल 1,00,708 लीटर मात्रा में राशि रू. 4,02,832/- की गौ-मूत्र खरीदी की गयी है। क्रय गौमूत्र से स्व-सहायता समूहों द्वारा ब्रम्हास्त्र(जैविक कीट नियंत्रक)एवं जीवामृत(वृद्धिवर्धक)उत्पाद बनाये गये। उत्पाद विक्रय से राशि रूपये 2,031,042/- प्राप्त हुई तथा उक्त राशि का उपयोग गौठान प्रबंधन समिति एवं स्व-सहायता समूहों द्वारा लागत व्यय एवं लाभांश में किया गया। **[पुनरीक्षित उत्तर]**

परिशिष्ट दो-

अनुसूचित जाति एवं जनजाति के आरक्षण के संबंध में वकीलों की ली गई सेवाएं एवं भुगतान
[सामान्य प्रशासन]

4. (क्र. 136) श्री पुन्नूलाल मोहले : क्या मुख्यमंत्री , यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या यह सही है कि छत्तीसगढ़ में लोक सेवा एवं शिक्षण संस्थाओं में आरक्षण से संबंधित वर्ष 2012 के प्रावधान को माननीय उच्च न्यायालय छत्तीसगढ़ के द्वारा निरस्त घोषित कर दिया गया है ? यदि हां तो वर्ष 2020 से लेकर सितम्बर, 2022 तक इस प्रकरण में किन-किन वकीलों की सेवाएं सरकार द्वारा ली गई है और उन्हें कितनी-कितनी राशि का भुगतान किया गया है ? (ख) प्रश्नांश अवधि में छत्तीसगढ़ राज्य के बाहर के किन-किन वकीलों की सेवाएं राज्य शासन द्वारा किन-किन प्रकरणों में ली गई हैं और उन्हें कितनी-कितनी राशि का भुगतान किया गया है प्रकरणवार, वकीलवार व राशिवार जानकारी देवें?

मुख्यमंत्री (श्री भूपेश बघेल) : [(क) जानकारी एकत्रित की जा रही है।(ख) जानकारी एकत्रित की जा रही है।]
(क) माननीय उच्च न्यायालय, छत्तीसगढ़ द्वारा छत्तीसगढ़ में लोक सेवा एवं शिक्षण संस्थाओं में आरक्षण से संबंधित वर्ष 2012 के प्रावधान को असंवैधानिक मान्य किया गया है। प्रश्नांश अवधि में वकीलों की सेवाओं की जानकारी निरंक है।(ख) प्रश्नांश अवधि में छत्तीसगढ़ राज्य के बाहर के वकीलों की सेवाएं राज्य शासन द्वारा जिन प्रकरणों में ली गई है और उन्हें राशि का भुगतान किया गया है प्रकरणवार, वकीलवार व राशिवार जानकारी निम्नानुसार हैः-

स.क्र.	प्रकरण	अधिवक्ता का नाम	भुगतान की राशि रूपये	प्रकरण	भुगतान आदेश
1-	SLP/32417/2016 गेलूश राम साहू	डॉ.हर्ष पाठक	55000/-	पदोन्नति	18.03.2020
2-	SLP/10647/2017 डॉ.सुरेन्द्र कुमार सिंह	डॉ.हर्ष पाठक	27500/-	पदोन्नति	03.06.2020
3.	SLP/23702/2019 डॉ.सुरेन्द्र कुमार सिंह	डॉ.हर्ष पाठक	55000/-	निश्चित समयावधि में कार्यभार ग्रहण नहीं करने के कारण नियुक्ति आदेश जारी नहीं करने के संबंध में	12.10.2021

छ.ग. राज्य वन विकास निगम परियोजना मंडलों में अवैध अतिक्रमण के दर्ज प्रकरण

[वन एवं जलवायु परिवर्तन]

5. (क्र. 137) श्री सन्त राम नेताम : क्या वन मंत्री, यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) छ.ग.रा.व.वि. निगम परियोजना मंडलों को वन विभाग द्वारा आरक्षित / संरक्षित वन क्षेत्रों का आबंटन किया गया था, जिसमें बस्तर संभाग में किन -वन क्षेत्रों में वन अधिकार के तहत पट्टा प्रदाय किया गया एवं कितने खड़े जंगल /रोपण क्षेत्रों का नुकसान हुआ है तथा वर्तमान में मंडलवार हस्तान्तरण किये गए वन क्षेत्रों में जो शेष उपलब्ध हैं, उसमें क्या कार्यवाही की गई ? दर्ज प्रकरण का विवरण/ पट्टा प्रदाय का क्षेत्रफल/ पट्टा क्रमांक /दिनांक एवं पट्टा प्रदाय करने के पश्चात बचत वन क्षेत्रों का व्यौरा दें? (ख) कंडिका "क" के प्रकरणों में क्या कार्यवाही की गई है, जिसमें छ.ग. राज्य वन विकास निगम के परियोजना मंडलों को अतिक्रमण से हानि हुई ? अतिक्रमण हटवाने हेतु कुल दर्ज प्रकरणों में से कितने प्रकरणों को बेदखली करवाकर मुआवजा/ महसूल लिया गया एवं पट्टा प्रदाय किया गया ? पट्टा प्रदाय करने हेतु क्या छ.ग. वन विभाग से अनुमति ली गई, का व्यौरा दें ? (ग) कंडिका "क" के कितने प्रकरणों में कब -कब एफ.आई.आर. दर्ज करायी गयी ? यदि नहीं तो क्यों ? इसके लिए जिम्मेदार अधिकारी / कर्मचारियों पर क्या कार्यवाही की गई, इसके लिए कौन जिम्मेदार हैं ?

वन मंत्री(श्री मोहम्मद अकबर) :[(क),(ख) एवं (ग)जानकारी एकत्रित की जा रही है।] (क) छत्तीसगढ़ राज्य वन विकास निगम को वन विभाग द्वारा बस्तर संभाग के उत्तर बस्तर कांकेर एवं कोण्डागांव जिलो के अंतर्गत वनक्षेत्र हस्तांतरित किया गया था। 338 हितग्राहियों को 373.770 हेक्टेयर क्षेत्र में वन अधिकार पत्र प्रदाय किये गये है । खड़े जंगल एवं रोपण क्षेत्रों को नुकसान नही हुआ है, अतः कार्रवाई का प्रश्न उपस्थित नही होता । चूंकि रोपण क्षेत्रो का नुकसान नहीं हुआ है अतः दर्ज प्रकरण निरंक है, प्रदाय किये गये वन अधिकार पत्रों के क्रमांक, क्षेत्रफल तथा वन अधिकार पत्र जारी होने के उपरांत शेष क्षेत्रफल की **जानकारी पुस्तकालय में रखे प्रपत्र 'अ' एवं 'ब'**में दर्शित है । (ख) प्रश्नांश ''क'' के संदर्भ में खड़े जंगल/रोपण क्षेत्रो को कोई हानि के प्रकरण प्रकाश में नही आये है,अतःप्रकरण दर्ज कर बेदखली करवाकर मुआवजा /महसूल वसूली करने का प्रश्न ही उपस्थित नही होता। वन अधिकार पत्र के लिए वन विभाग से अनुमति की आवश्यकता नहीं होती है।(ग) आवश्यक नहीं होने के कारण कोई एफ.आई.आर.दर्ज नही करायी गई। कोई जिम्मेदार नहीं है, अतः कार्यवाही का प्रश्न उत्पन्न नहीं होता।

जेम पोर्टल से खरीदी
[वाणिज्य एवं उद्योग]

6. (क्र. 331) श्री धरम लाल कौशिक : क्या वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री , यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या जुलाई, 2022 सत्र में प्रश्न क्रमांक 339, पर दिनांक 25 जुलाई, 2022 को आधे घंटे की चर्चा के दौरान माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा जिन अधिकारियों ने जेम पोर्टल से खरीदी की है, उनके विरूद्ध निश्चित रूप से कार्यवाही करने का आश्वासन दिया था ? यदि हॉ तो कृषि, तकनीकी एवं अन्य विश्वविद्यालयों के अतिरिक्त अन्य विभागों के किन-किन अधिकारियों को नोटिस दिया गया है, उत्तरदायित्व निश्चित किया गया है व क्या कार्यवाही की गई है? उक्तानुसार अधिकारियों के द्वारा कितनी राशि की सामग्री जेम पोर्टल से क्रय की गई है? (ख) दिनांक 25 जुलाई, 2022 को माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा कार्यवाही की घोषणा के बाद भी क्या किसी विभाग के द्वारा जेम पोर्टल से खरीदी की गई है? यदि हॉ तो किन-किन विभागों के द्वारा की गई है?

वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री(श्री कवासी लखमा) : [जानकारी एकत्रित की जा रही है।] (क) जी हॉ, विभागों से प्राप्त जानकारी विस्तृत विवरण **जानकारी पुस्तकालय में रखे प्रपत्र-अ पर दर्शित है।** (ख) जी हॉ, दिनांक 25.07.2022 को माननीय मुख्यमंत्री जी घोषणा के बाद भी कुछ विभागों द्वारा जेम पोर्टल से खरीदी की गई है। विस्तृत विवरण **जानकारी पुस्तकालय में रखे प्रपत्र-ब पर दर्शित** है।

विधानसभा क्षेत्र जैजैपुर के थाना में चोरी के दर्ज प्रकरण
[गृह]

7. (क्र. 360) श्री केशव प्रसाद चंद्रा : क्या गृह मंत्री, यह बताने की कृपा करेंगे कि (क)जैजैपुर विधानसभा क्षेत्र अंतर्गत आने वाले थाना में वित्तीय वर्ष 2021-22 एवं 2022-23 में दिनांक 30 नवम्बर, 2022 तक चोरी के कितने प्रकरण दर्ज हैं, बतायें ? (ख) प्रश्नांक ''क'' अनुसार उपरोक्त चोरी के प्रकरणों में कितने अपराधियों को पकड़ा गया है, कितने अज्ञात है, बतायें ? (ग) चोरी के कितने प्रकरणों का निराकरण किया गया है, कितने प्रकरण लंबित हैं, लंबित प्रकरणों का कब तक निराकरण किया जावेगा, बतायें ?

गृह मंत्री (श्री ताम्रध्वज साहू) : [(क)प्रश्नाधीन अवधि की वर्षवार जानकारी संलग्न ''प्रपत्र'' अनुसार है।(ख) **जानकारी संलग्न ''प्रपत्र'' अनुसार है**।(ग) जानकारी **संलग्न ''प्रपत्र'' अनुसार है**।**]**(क)प्रश्नाधीन अवधि की वर्षवार **जानकारी संलग्न ''प्रपत्र**'' अनुसार है।(ख) जानकारी **संलग्न ''प्रपत्र'' अनुसार** है।(ग) जानकारी **संलग्न ''प्रपत्र''** अनुसार है। **[पुनरीक्षित उत्तर]**

परिशिष्ट-तीन

छत्तीसगढिया ओलंपिक में व्यय राशि तथा शामिल खेल
[खेल एवं युवा कल्याण]

8. (क्र. 435) श्री शिवरतन शर्मा : क्या उच्च शिक्षा मंत्री , यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) छत्तीसगढिया ओलंपिक में कौन-कौन से खेलों को सम्मिलित किया गया है ? उक्त खेलों को सम्मिलित करने का आधार क्या है ? (ख) छत्तीसगढिया ओलंपिक हेतु प्रावधानित बजट कितना था तथा इस आयोजन हेतु कितना खर्च, किन जिलों में किया गया है ?

उच्च शिक्षा मंत्री (श्री उमेश पटेल): [(क) गिल्ली डंडा, पिट्टूल, संखली, लंगड़ी दौड़, कबड्डी, खो-खो, रस्साकसी, बांटी (कंचा), बिल्लस, फुगड़ी, गेड़ी दौड़, भंवरा, 100 मी. दौड़, लंबीकूद। छत्तीसगढ़ के पारंपरिक खेल गतिविधियों को ग्रामीण क्षेत्र एवं नगरीय क्षेत्रों में प्रोत्साहित करने, प्रतिभागियों को मंच प्रदान करने एवं खेलों के प्रति जागरूकता बढ़ाने और खेल भावना का विकास।(ख) योजना दिनांक 23/09/2022 को जारी की गई, तत्समय उक्त प्रयोजन हेतु कोई बजट प्रावधान नहीं था। व्यय की जानकारी एकत्रित की जा रही है।**]** (क) गिल्ली डंडा, पिट्टूल, संखली, लंगड़ी दौड़, कबड्डी, खो-खो, रस्साकसी, बांटी (कंचा), बिल्लस, फुगड़ी, गेड़ी दौड़, भंवरा, 100 मी. दौड़, लंबीकूद। छत्तीसगढ़ के पारंपरिक खेल गतिविधियों को ग्रामीण क्षेत्र एवं नगरीय क्षेत्रों में प्रोत्साहित करने, प्रतिभागियों को मंच प्रदान करने एवं खेलों के प्रति जागरूकता बढ़ाने और खेल भावना का विकास। (ख) योजना दिनांक 23/09/2022 को जारी की गई, तत्समय उक्त प्रयोजन हेतु कोई बजट प्रावधान नहीं था। प्रदेश के 33 जिलों में कुल राशि रूपए 913.13 लाख का व्यय किया गया।

वर्ष 2021-22 एवं 2022 -23 में कोंडागांव एवं कांकेर जिले में स्प्रिंकलर पाइप एवं डीजल पम्प सप्लाई
[कृषि विकास एवं किसान कल्याण तथा जैव प्रौद्योगिकी]

9. (क्र. 460) श्री सन्त राम नेताम : क्या कृषि मंत्री , यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) वर्ष 2021-22 एवं 2022 -23 में नवम्बर, 2022 की स्थिति में कोंडागांव एवं कांकेर जिले में स्प्रिंकलर पाइप एवं डीजल पम्प सप्लाई हेतु किन-किन- वेंडरो से अनुबंध किया गया है, यह अनुबंध किस दिशा निर्देश के तहत किया गया है ? (ख) वेंडर कौन–कौन सी कंपनी का सामान सप्लाई कर रहे हैं? क्या इनके पास उक्त कंपनी की डीलर शिप है? उक्त कंपनी का सामान कितनी राशि में बाजार में उपलब्ध है व अनुदान उपरांत उक्त सभी सामान किसानों को किस मूल्य पर उपलब्ध होता है ? (ग) कोंडागांव एवं कांकेर जिले में स्प्रिंकलर पाइप एवं डीजल पम्प कितने किसानों को कितनी राशि में बांटा गया है, कितने प्रतिशत अनुदान में बांटा गया है ?

कृषि मंत्री (श्री रविन्द्र चौबे): [(क) स्प्रिंकलर पाईप एवं डीजल पंप के अनुदान पर वितरण हेतु लागू चैम्प्स प्रदाय व्यवस्था के तहत निर्माता कंपनी अथवा निर्माता कंपनी के द्वारा अधिकृत डिस्ट्रीब्यूटर के साथ रुचि की अभिव्यक्ति (ई.ओ.आई.) का प्रकाशन कर राज्य स्तरीय अनुबंध किया जाता है। चैम्प्स प्रदाय व्यवस्था में जिला स्तर पर अनुबंध करने का प्रावधान नहीं है। वर्ष 2021-22 एवं 2022-23 में नवम्बर 2022 तक प्रदेश में स्प्रिंकलर पाईप एवं डीजल पंप के नवीन एवं वैध पंजीकृत निर्माता कंपनी/राज्य स्तरीय डिस्ट्रीब्यूटर की **जानकारी संलग्न प्रपत्र-अ अनुसार है।**(ख) प्रश्नांश 'क'की अवधि में चैम्प्स प्रदाय व्यवस्था अंतर्गत पंजीकृत निर्माता/राज्य स्तरीय डिस्ट्रीब्यूटर द्वारा प्रदाय की जाने वाली सामग्री के कंपनी एवं ब्रांड की **जानकारी संलग्न प्रपत्र ब अनुसार है।** चैम्प्स प्रदाय व्यवस्था में पंजीकृत प्रदायकों द्वारा पंजीकृत सामग्री का ही कृषकों को अनुदान पर प्रदान करने का प्रावधान है। चैम्प्स प्रदाय व्यवस्था अंतर्गत पंजीकृत निर्माता/राज्य स्तरीय डिस्ट्रीब्यूटर के सामग्रियों की बाजार मूल्य की जानकारी संधारित नहीं की जाती है। अपितु निर्माता/राज्य स्तरीय डिस्ट्रीब्यूटर का पंजीयन चैम्प्स प्रदाय व्यवस्था के दिशा-निर्देशानुसार अधिकतम खुदरा मूल्य (एम.आर.पी.) पर कृषकों के द्वारा मोल-भाव किए जाने का प्रावधान है। वर्ष 2021-22 एवं 2022-23 में नवम्बर 2022 तक चैम्प्स प्रदाय व्यवस्था के माध्यम से प्रदायित स्प्रिंकलर सेट एवं डीजल पंपों की कीमत एवं उन पर कृषकों को प्रदायित अनुदान का योजनावार वर्षवार **जानकारी संलग्न प्रपत्र स, प्रपत्र द एवं प्रपत्र इ अनुसार** है। (ग) चैम्प्स प्रदाय व्यवस्था के माध्यम से कोण्डागांव एवं कांकेर जिले में वर्ष 2021-22 में 2885 कृषकों को स्प्रिंकलर 1 कृषक को डीजल पंप प्रदाय किया गया है। वर्ष 2022-23 में 1917 कृषकों को अनुदान पर स्प्रिंकलर सेट प्रदायित किया गया है। विभाग में संचालित केन्द्र प्रवर्तित एवं राज्य पोषित योजनाओं के प्रावधान अनुसार स्प्रिंकलर सेट पर लघु सीमांत कृषकों को 55 प्रतिशत एवं अन्य कृषकों को 45 प्रतिशत तथा डीजल पंप पर 75 प्रतिशत अनुदान दिया गया है तथा डी.एम.एफ. मद में 100 प्रतिशत अनुदान पर स्प्रिंकलर सेट प्रदाय किया गया है। वर्षवार, योजनावार **जानकारी संलग्न प्रपत्र स, प्रपत्र द एवं प्रपत्र इ अनुसार** है।**]** (क) स्प्रिंकलर पाईप एवं

डीजल पंप के अनुदान पर वितरण हेतु लागू चैम्प्स प्रदाय व्यवस्था के तहत निर्माता कंपनी अथवा निर्माता कंपनी के द्वारा अधिकृत डिस्ट्रीब्यूटर के साथ रुचि की अभिव्यक्ति (ई.ओ.आई.) का प्रकाशन कर राज्य स्तरीय अनुबंध किया जाता है। चैम्प्स प्रदाय व्यवस्था में जिला स्तर पर अनुबंध करने का प्रावधान नहीं है। वर्ष 2021-22 एवं 2022-23 में नवम्बर 2022 तक प्रदेश में स्प्रिंकलर पाईप एवं डीजल पंप के नवीन एवं वैध पंजीकृत निर्माता कंपनी/राज्य स्तरीय डिस्ट्रीब्यूटर की **जानकारी संलग्न प्रपत्र-अ अनुसार है।**(ख) प्रश्नांश 'क'की अवधि में चैम्प्स प्रदाय व्यवस्था अंतर्गत पंजीकृत निर्माता/राज्य स्तरीय डिस्ट्रीब्यूटर द्वारा प्रदाय की जाने वाली सामग्री के कंपनी एवं ब्रांड की **जानकारी संलग्न प्रपत्र ब अनुसार है।** चैम्प्स प्रदाय व्यवस्था में पंजीकृत प्रदायकों द्वारा पंजीकृत सामग्री का ही कृषकों को अनुदान पर प्रदान करने का प्रावधान है। चैम्प्स प्रदाय व्यवस्था अंतर्गत पंजीकृत निर्माता/राज्य स्तरीय डिस्ट्रीब्यूटर के सामग्रियों की बाजार मूल्य की जानकारी संधारित नहीं की जाती है। अपितु निर्माता/राज्य स्तरीय डिस्ट्रीब्यूटर का पंजीयन चैम्प्स प्रदाय व्यवस्था के दिशा-निर्देशानुसार अधिकतम खुदरा मूल्य (एम.आर.पी.) पर कृषकों के द्वारा मोल-भाव किए जाने का प्रावधान है। वर्ष 2021-22 एवं 2022-23 में नवम्बर 2022 तक चैम्प्स प्रदाय व्यवस्था के माध्यम से प्रदायित स्प्रिंकलर सेट एवं डीजल पंपों की कीमत एवं उन पर कृषकों को प्रदायित अनुदान का योजनावार वर्षवार **जानकारी संलग्न प्रपत्र स, प्रपत्र द एवं प्रपत्र इ अनुसार** है। (ग) चैम्प्स प्रदाय व्यवस्था के माध्यम से कोण्डागांव एवं कांकेर जिले में वर्ष 2021-22 में 2885 कृषकों को स्प्रिंकलर 1 कृषक को डीजल पंप प्रदाय किया गया है। वर्ष 2022-23 में 1917 कृषकों को अनुदान पर स्प्रिंकलर सेट प्रदायित किया गया है। विभाग में संचालित केन्द्र प्रवर्तित एवं राज्य पोषित योजनाओं के प्रावधान अनुसार स्प्रिंकलर सेट पर लघु सीमांत कृषकों को 55 प्रतिशत एवं अन्य कृषकों को 45 प्रतिशत तथा डीजल पंप पर 75 प्रतिशत अनुदान दिया गया है तथा डी.एम.एफ. मद में 100 प्रतिशत अनुदान पर स्प्रिंकलर सेट प्रदाय किया गया है। वर्षवार, योजनावार **जानकारी संलग्न प्रपत्र स, प्रपत्र द एवं प्रपत्र इ अनुसार** है। **[पुनरीक्षित उत्तर]**

परिशिष्ट-चार

पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग द्वारा पहुंच बिहिन गांवों की कनेक्टीविटी
[लोक निर्माण]

10. (क्र. 500) डॉ. रमन सिंह : क्या गृह मंत्री , यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या वित्तीय वर्ष 2019-20 से नवम्बर, 2022 तक राज्य के पहुंच -बिहिन गांवों की कनेक्टीविटी सुनिश्चित करने के लिये विभाग द्वारा जवाहर सेतु योजना या अन्य योजना संचालित की जा रही है? यदि हां तो इस योजना के माध्यम से कितने पुलों का निर्माण प्रदेश की नदियों अथवा नालों पर किया गया है? इस योजना हेतु कितने बजट का प्रावधान विभाग द्वारा किया गया है? (ख) ग्रामीण विकास हेतु ग्राम पंचायतों को वित्तीय वर्ष 2019-20 से नवम्बर, 2022 तक कितनी राशि का आबंटन किया गया है? साथ ही आलौच्य अवधि में नक्सल प्रभावित ग्राम पंचायतों के लिये कितनी राशि का प्रावधान किया गया है?

गृह मंत्री (श्री ताम्रध्वज साहू): [(क) राज्य के पहुंच विहिन गांवों की कनेक्टीविटी सुनिश्चित करने के लिये लोक निर्माण विभाग द्वारा जवाहर सेतु योजना संचालित की जा रही है। प्रश्नांकित अवधि हेतु जानकारी निम्नानुसार है - निर्मित पुलों की संख्या - 34 नग बजट प्रावधान - रू. 54415.00 लाख (ख) लोक निर्माण विभाग द्वारा ग्राम पंचायतों को कोई राशि का आबंटन नहीं किया जाता। पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग से जानकारी मांगी गयी थी, पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग द्वारा जानकारी **''संकलित कर भेजी जावेगी''** का लेख किया गया है।**]** (क) प्रश्नाधीन, जवाहर सेतु योजना पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग अंतर्गत संचालित नहीं है। अतः शेषांश का प्रश्न उपस्थित नहीं होता। (ख) उपरोक्त ''क'' उत्तर के आलोक में प्रश्न उपस्थित नहीं होता है।

गौठान योजना एवं राजीव गांधी युवा मितान योजना के अंतर्गत प्रदत्त राशि
[कृषि विकास एवं किसान कल्याण तथा जैव प्रौद्योगिकी]

11. (क्र. 503) डॉ. रमन सिंह : क्या कृषि मंत्री , यह बताने की कृपा करेंगे कि वित्तीय वर्ष 2019-20 से नवम्बर, 2022 तक छत्तीसगढ़ में गौठान समितियों को वर्षवार कितनी - कितनी राशि दी गई है? इन समितियों को प्रतिमाह कितनी राशि दी जाती है?

कृषि मंत्री(श्री रविन्द्र चौबे) : [जानकारी संकलित की जा रही है।] वित्तीय वर्ष 2019-20 से 30 नवम्बर 2022 तक प्रदेश की गोठान समितियों को वर्षवार प्रदायित राशि का विवरण निम्नानुसार है:-

क्र.	वर्ष	जारी की गई राशि (लाख रू. में)
1	2	3
1	2019-20	512.60
2	2020-21	3332.25
3	2021-22	3286.30
4	2022-23 (01.04.2022 से 30.11.2022 तक)	2591.20

प्रदेश की गोठान समितियों को प्रतिमाह राशि रू. 10000/- दिये जाने के निर्देश है।

वर्मी/कम्पोस्ट का स्टॉक व आपूर्ति
[कृषि विकास एवं किसान कल्याण तथा जैव प्रौद्योगिकी]

12. (क्र. 504) डॉ. रमन सिंह : क्या कृषि मंत्री , यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) प्रदेश में वर्तमान में वर्मी/सुपर कम्पोस्ट का कितने मेट्रिक टन स्टॉक है? जिलेवार विवरण देवें? (ख) क्या यह सही है कि खरीफ, 2022 हेतु किसानों द्वारा सहकारी समितियों से वर्मी/सुपर कम्पोस्ट की लेने की अनिवार्यता के चलते परमिट तो कटवाया गया किन्तु स्टॉक नहीं होने के कारण सोसाइटियों से आपूर्ति नहीं की जा सकी है? (ग) क्या किसानों द्वारा धान की बिक्री सोसायटियों में किये जाने के बाद लिंकिंग के माध्यम से उक्त राशि की वसूली की जा रही है? यदि हाँ तो क्यों?

कृषि मंत्री (श्री रविन्द्र चौबे) : [(क) जानकारी संकलित की जा रही है। (ख) जानकारी संकलित की जा रही है। (ग) जानकारी संकलित की जा रही है।](क) प्रदेश में 15 दिसम्बर 2022 तक की स्थिति में वर्मी कम्पोस्ट एवं सुपर कम्पोस्ट के उपलब्ध स्टॉक का जिलेवार **विवरण संलग्न प्रपत्र अनुसार** हैं। (ख) जिला दुर्ग अंतर्गत खरीफ 2022 मौसम में ननकट्ठी सहकारी समिति के अंतर्गत 51 कृषकों को 137.60 क्विंटल वर्मी कम्पोस्ट की पर्ची जारी किया गया। समिति के अंतर्गत वर्मी कम्पोस्ट उपलब्धता पश्चात् कृषकों द्वारा पर्ची स्केन कराने उपरांत वर्मी कम्पोस्ट का उठाव नहीं किया गया। (ग) प्रश्नांक ख के सम्बन्ध में ननकट्ठी सहकारी समिति के अंतर्गत 51कृषकों में से 23 कृषकों से धान लिंकिंग के माध्यम से राशि रु.73,700/- की वसूली की गई थी, जिसे कृषकों के बचत खाते में वापस कर दिया गया है तथा 28 कृषकों के केसीसी ऋण खाते से राशि रु. 63,900/- की वसूली की गई थी, जिसे सम्बंधित कृषकों के केसीसी ऋण खाते में समायोजन कर दिया गया है ।

<u>परिशिष्ट-पांच</u>

प्रदेश में अनुसूचित जाति वर्ग के अधिकारी/कर्मचारियों के स्वीकृत एवं रिक्त पद
[आदिम जाति तथा अनुसूचित जाति विकास, पिछड़ा वर्ग एवं अल्पसंख्यक विकास]

13. (क्र. 515) श्री पुन्नूलाल मोहले : क्या आदिम जाति विकास मंत्री , यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) प्रदेश के विभिन्न विभागों,निगम/मंडल/आयोग में अनुसूचित जाति संवर्ग के वर्ग 1,2,3,4 के कुल कितने पद स्वीकृत हैं?स्वीकृत पद के विरूद्ध कुल कितने अधिकारी एवं कर्मचारी कार्यरत हैं,कितने पद रिक्त हैं? (ख) प्रश्न (क) अनुसार विभिन्न विभागों में अनुसूचित जाति वर्ग के अधिकारियों एवं कर्मचारियों के प्रमोशन में कितने प्रतिशत आरक्षण का प्रावधान है?

आदिम जाति विकास मंत्री(श्री प्रेमसाय सिंह टेकाम) : [(क) जानकारी एकत्रित की जा रही है। (ख)जानकारी एकत्रित की जा रही है।**]** (क) प्रदेश के विभिन्न विभागों, निगम/मंडल/आयोग में वर्गवार पद स्वीकृत नही है। स्वीकृत कुल पद में से आरक्षण रोस्टर अनुसार पदों की संख्या निर्धारित होती है। वर्तमान में रोस्टर निर्धारित नहीं है। (ख) वर्तमान में पदोन्नति में आरक्षण का प्रावधान नहीं है।

कृषि विभाग द्वारा किसानों को वितरीत किये जाने वाले कृषि यंत्र
[कृषि विकास एवं किसान कल्याण तथा जैव प्रौद्योगिकी]

14. (क्र. 530) श्री शिवरतन शर्मा : क्या कृषि मंत्री , यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) कृषि विभाग द्वारा किसानों को कौन कौन से कृषि यंत्र वितरित किये जा रहे हैं, उनमें शासन द्वारा वर्ष 2020 से नवम्बर, 2022 तक कितना अनुदान प्रदाय किया गया तथा किस-किस जिले के कितने किसानों को प्रदाय किये गये? (ख) जिला बलौदाबाजार भाटापारा में कितने स्प्रेयर किस किस दर पर खरीदे गए एवं कितने किसानों को, किस-किस दर पर वितरित किये गये हैं? (ग) स्प्रेयर की खरीदी के लिये किन किन फर्मों से निविदा किन किन दरों पर मंगायी गयी थी तथा किस फर्म को खरीदी हेतु कार्यादेश दिया गया है?

कृषि मंत्री (श्री रविन्द्र चौबे): [(क) जानकारी संकलित की जा रही है। (ख) जानकारी संकलित की जा रही है। (ग)जानकारी संकलित की जा रही है।] (क) कृषि विभाग में संचालित विभिन्न योजनाओं के अंतर्गत वर्ष 2020 से नवम्बर, 2022 तक अनुदान पर वितरित किये गये कृषि यंत्रों, उन पर प्रदायित अनुदान राशि एवं लाभांवित किसानों की संख्या का वर्षवार, जिलेवार, योजनावार विवरण **पुस्तकालय में रखे प्रपत्र-अ, प्रपत्र-ब एवं प्रपत्र-स अनुसार** है। (ख) जिला बलौदाबाजार-भाटापारा में विभिन्न विभागीय योजनाओं एवं खनिज न्यास निधि के अंतर्गत किसानों को स्प्रेयर की प्रदायगी छ.ग. राज्य बीज एवं कृषि विकास निगम लिमिटेड द्वारा अनुबंधित दर (आर.सी.ओ.) पर की जाती है। स्प्रेयर हेतु अनुबंधित (आर.सी.ओ.) दर**,** कुल राशि एवं लाभान्वित किसानों की संख्या की जानकारी **पुस्तकालय में रखे प्रपत्र-द अनुसार** है। स्प्रेयर का वितरण विभिन्न विभागीय योजनाओं में प्रावधनित अनुदान पैटर्न के अनुरूप किया गया हैं। (ग) छ.ग. राज्य बीज एवं कृषि विकास निगम लिमिटेड द्वारा ''स्प्रेयर की खरीदी के लिए वर्ष 2019-20 में अनुबंधित 3 फर्मो से एवं वर्ष 2021-22 में अनुबंधित 12 फर्मो से दर अनुबंधित (आर.सी.ओ.) किया गया है, जिसकी जानकारी **पुस्तकालय में रखे प्रपत्र-इ एवं प्रपत्र-फ-अनुसार** है। कुल 12 फर्मो को स्प्रेयर खरीदी हेतु कार्यादेश जारी किया गया है, जिसकी जानकारी **पुस्तकालय में रखे प्रपत्र-क, प्रपत्र-ख, प्रपत्र-ग एवं प्रपत्र-घ अनुसार** है।''

प्रदेश में निर्मित/संचालित गौठान व उत्पादित वर्मी कम्पोस्ट
[पशुधन विकास]

15. (क्र. 552) श्री नारायण चंदेल : क्या कृषि मंत्री , यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) प्रदेश में 08 दिसम्बर, 2022 तक की स्थिति में कितने गोठान स्वीकृत हैं ? स्वीकृत गोठानों में से कितने का निर्माण कार्य पूर्ण है ? निर्माण में कितनी-कितनी राशि का उपयोग, किन-किन मद/योजनाओं से कितने कार्यो हेतु किया गया ? (ख) प्रश्नांश 'क' के कितने गोठानों में शेड सहित कितने वर्मी कम्पोस्ट निर्माण हेतु कितनी क्षमता की टंकियों का निर्माण किया गया है ? टंकियों में भरने से पहले प्राप्त गीला गोबर मे से प्रति 100 कि. में से सूखने पर कितने गोबर की मात्रा प्राप्त होती है ? गोबर खरीदी की मात्रा निर्धारण का आधार क्या है ? (ग) वर्ष 2021-22 एवं 2022-23 में 30 नवम्बर, 2022 तक पशुओं के लिए पैरा/चारा की व्यवस्था एवं परिवहन तथा मजदूरी भुगतान में कितना व्यय हुआ ? (घ) दिसम्बर - 2021 से 20 दिसम्बर - 2022 तक कितना गोबर खरीदा गया एवं कितना एवं कितनी राशि का वर्मी कंपोस्ट एवं अन्य उत्पाद बेचा गया ? पृथक पृथक जानकारी उपलब्ध करावें।

कृषि मंत्री (श्री रविन्द्र चौबे): [(क) प्रदेश में 08 दिसंबर, 2022 तक की स्थिति में 11267 गौठान स्वीकृत है। स्वीकृत गौठानों में से 9716 गौठानो का निर्माण कार्य पूर्ण है। कुल राशि रु. 92226.851 लाख का उपयोग 9716 गौठानो के निर्माण कार्यों हेतु किया गया, मद/योजनावार **जानकारी संलग्न प्रपत्र अनुसार है।** (ख) प्रश्नांक ''क'' के 9566 गौठानों में शेड सहित 120486 वर्मी कम्पोस्ट टंकियां कुल क्षमता 2659339 क्विंटल का निर्माण किया गया है। खरीदी मौसम के अनुसार प्रत्येक 100 कि.ग्रा. गोबर सूखने पर औसतन 60 से 75 कि.ग्रा. गोबर टंकियों में भरने से पूर्व प्राप्त होता है। गौठानवार गोबर खरीदी की मात्रा निर्धारित नही की गई है। (ग) पशुओं के लिए पैरा/चारा की व्यवस्था एवं परिवहन तथा मजदूरी भुगतान हेतु वर्ष 2021-22 में राशि रू. 2367.21 लाख तथा 2022-23 में 30 नवम्बर, 2022 तक राशि रू. 18.52 लाख व्यय हुआ। (घ) दिसंबर-2021 से 20 दिसंबर 2022 तक गोबर खरीदी, वर्मी कम्पोस्ट विक्रय एवं अन्य उत्पाद विक्रय की जानकारी निम्नानुसार है -

क्रय गोबर की मात्रा क्विंटल	**विक्रय वर्मी कम्पोस्ट**		**विक्रय सुपर कम्पोस्ट**		**विक्रय सुपर कम्पोस्ट प्लस**		**विक्रय अन्य उत्पाद**	
	मात्रा क्विंटल में	**राशि रू. लाख में**	**मात्रा क्विंटल में**	**राशि रू. लाख में**	**मात्रा क्विंटल में**	**राशि रू. लाख में**	**मात्रा नग में**	**राशि रू. (लाख में)**
41,18,318.322	**10,48,780.97**	**10,497.92**	**2,71,409.32**	**1,628.46**	**4,039.13**	**26.25**	**58,34,244**	**149.79**

]

(क) प्रदेश में 08 दिसंबर, 2022 तक की स्थिति में 11267 गौठान स्वीकृत है। स्वीकृत गौठानों में से 9716 गौठानो का निर्माण कार्य पूर्ण है। कुल राशि रु. 92226.851 लाख का उपयोग 9716 गौठानो के निर्माण कार्यों हेतु किया गया, मद/योजनावार **जानकारी संलग्न प्रपत्र अनुसार है।** (ख) प्रश्नांक ''क'' के 9566 गौठानों में शेड सहित 120486 वर्मी कम्पोस्ट टंकियां कुल क्षमता 2659339 क्विंटल का निर्माण किया गया है। खरीदी मौसम के अनुसार प्रत्येक 100 कि.ग्रा. गोबर सूखने पर औसतन 60 से 75 कि.ग्रा. गोबर टंकियों में भरने से पूर्व प्राप्त होता है। गौठानवार गोबर खरीदी की मात्रा निर्धारित नही की गई है। (ग) पशुओं के लिए पैरा/चारा की व्यवस्था एवं परिवहन तथा मजदूरी भुगतान हेतु वर्ष 2021-22 में राशि रू. 2367.21 लाख तथा 2022-23 में 30 नवम्बर, 2022 तक राशि रू. 18.52 लाख व्यय हुआ। (घ) दिसंबर-2021 से 20 दिसंबर 2022 तक गोबर खरीदी, वर्मी कम्पोस्ट विक्रय एवं अन्य उत्पाद विक्रय की जानकारी निम्नानुसार है -

क्रय गोबर की मात्रा क्विंटल	विक्रय वर्मी कम्पोस्ट		विक्रय सुपर कम्पोस्ट		विक्रय सुपर कम्पोस्ट प्लस		विक्रय अन्य उत्पाद	
	मात्रा क्विंटल में	राशि रू. लाख में	मात्रा क्विंटल में	राशि रू. लाख में	मात्रा क्विंटल में	राशि रू. लाख में	मात्रा नग में	राशि रू. (लाख में)
41,18,318.322	10,48,780.97	10,497.92	2,71,409.32	1,628.46	4,039.13	26.25	58,34,244	149.79

[पुनरीक्षित उत्तर]

परिशिष्ट-छ:

डी.एम.एफ. से प्राप्त राशि
[महिला एवं बाल विकास]

16. (क्र. 599) श्री बृजमोहन अग्रवाल : क्या महिला एवं बाल विकास मंत्री , यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या विभाग को जांजगीर चांपा, कोरबा, रायगढ़, सूरजपुर व जशपुर कलेक्टर से डी.एम.एफ. मद से कोई राशि प्राप्त हुई है? यदि हां तो वर्ष 2019-20, 20-21, 21-22 व 22-23 में कितनी-कितनी राशि इन जिलों में किन किन कार्यों के लिए प्राप्त हुई है, जिलावार बतावें ? (ख) कंडिका ''क'' के वर्षो में प्रश्नांश जिला में डी.एम.एफ. मद से क्या क्या सामग्री, किस किस दर पर, किन किन फर्मों से कितनी कितनी मात्रा में खरीदी गई है? (ग) कंडिका ''ख'' की सामग्री क्रय करने की क्या प्रक्रिया थी ? क्या राज्य भण्डार क्रय नियमों का पालन किया गया था ? यदि नहीं, तो कारण बतायें ? (घ) भण्डार क्रय नियमों का पालन नहीं करने के लिए किस-किस अधिकारी को दोषी पाया गया है ? दोषी अधिकारियों के खिलाफ क्या कार्यवाही की गई, नहीं तो क्यों ?

महिला एवं बाल विकास मंत्री (श्रीमती अनिला भेडिया) : [प्रश्न 'क', 'ख', 'ग' एवं 'घ' कीजानकारी संकलित की जा रही है।**]** (क) प्रश्नांश 'क' की जानकारी **पुस्तकालय में रखे प्रपत्र-अ** अनुसार है। (ख) प्रश्नांश 'ख' की जानकारी **पुस्तकालय में रखे प्रपत्र-ब** अनुसार है। (ग) प्रश्नांश 'ग' की जानकारी **पुस्तकालय में रखे प्रपत्र-ब** अनुसार है। (घ) भंडार क्रय नियमों के पालन के संबंध में परीक्षण किया जा रहा है। परीक्षण उपरान्त युक्तियुक्त कार्यवाही की जा सकेगी।

जांजगीर-चांपा जिले में की गई खरीदी
[आदिम जाति तथा अनुसूचित जाति विकास, पिछड़ा वर्ग एवं अल्पसंख्यक विकास]

17. (क्र. 645) श्री नारायण चंदेल : क्या आदिम जाति विकास मंत्री , यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) जिला जांजगीर-चांपा एवं सक्ती अंतर्गत वर्ष, 2021 से 30 नवम्बर, 2022 तक केन्द्र, राज्य एवं जिला से किस-किस मद से, किस-किस योजना अंतर्गत आदिम जाति विकास विभाग को कितनी-कितनी राशि प्राप्त हुई ? वर्षवार, मदवार, योजनावार जानकारी देवें। (ख) प्रश्नांश 'क' की प्राप्त राशि में से कौन-कौन से कार्य किए गए एवं कौन-कौन सी सामग्री, कितनी-कितनी राशि की क्रय की गई ? (ग) प्रश्नांश 'ख' के कार्यो में कितनी शिकायतें गुणवत्ताहीन सामग्री एवं निर्माण कार्य किए जाने की प्राप्त हुई ? तथा दोषियों पर क्या कार्यवाही की गई ?

आदिम जाति विकास मंत्री (श्री प्रेमसाय सिंह टेकाम): [(क) जानकारी संकलित की जा रही है।(ख) जानकारी संकलित की जा रही है। (ग) जानकारी संकलित की जा रही है। **]** (क)जिला जांजगीर-चांपा एवं सक्ती अंतर्गत वर्ष 2021 से 30 नवम्बर 2022, तक केन्द्र, राज्य एवं जिला से वर्षवार, मदवार, योजनावार प्रदाय राशि की जानकारी पुस्तकालय में रखे प्रपत्र-अ अनुसार है। (ख) प्राप्त राशि में से किये गये कार्य एवं क्रय की गई सामग्री तथा व्यय राशि की जानकारी पुस्तकालय में रखे प्रपत्र-ब अनुसार है। (ग)गुणवत्ताहीन सामग्री एवं निर्माण कार्य किये जाने के संबंध में कोई शिकायत प्राप्त नहीं हुई है। कार्यवाही का प्रश्न उपस्थित नहीं होता है।

अधिराज इंफ्रा स्टेट्स बिलासपुर द्वारा अवैध प्लाटिंग व विक्रय
[आवास एवं पर्यावरण]

18. (क्र. 656) श्री प्रमोद कुमार शर्मा : क्या वन मंत्री, यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) अधिराज इंफ्रा स्टेट्स द्वारा ग्राम पेंड्रीडीह, बिल्हा, बिलासपुर के खसरा नम्बर 100/7,180/8, 336/1,336/2,336/3,337/4,344/1,388/3 में किस नाम से आवासीय प्रोजेक्ट तैयार कर कितने लोगों को विक्रय किया गया है? क्या उपरोक्त प्रोजेक्ट में अवैध प्लाटिंग कर अवैध विक्रय करने तथा क्रेताओं की राशि गबन करने की शिकायत विभाग को प्राप्त हुई है ? यदि हाँ, तो उक्त संस्था के संस्थापक एवं सदस्य कौन - कौन हैं तथा संबंधितों पर क्या कार्यवाही की गई ? (ख) क्या संस्था द्वारा बैंक में गिरवी रखी जमीन भी लोगो को विक्रय कर दी गई है तथा विक्रय हेतु अनुबंध किया गया है ? यदि हाँ तो उस पर क्या कार्यवाही की गई ? उक्त खसरे में कितने लोगों के द्वारा वर्तमान में उक्त संस्था से अपनी क्रय भूमि का पंजीयन करा लिया गया है ?

वन मंत्री (J॑मोहम्मद अकबर) : [(क) एवं (ख) भाग की जानकारी एकत्रित की जा रही है।](क)राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग एवं कार्यालय महानिरीक्षक पंजीयन एवं अधीक्षक मुद्रांक छत्तीसगढ़ रायपुर से प्राप्त जानकारी अनुसार, अधिराज इंफ्रा स्ट्रेटस प्राईवेट लिमिटेड द्वारा ग्राम पेंड्रीडीह, बिल्हा बिलासपुर के खसरा नंबर 180/8, 336/1, 336/2, 336/3, 337/4, 344/1 मे अधिराज इंफ्रा स्ट्रेटस प्राईवेट लिमिटेड द्वारा डायरेक्टर द्वारा श्री आलोक बाजपेयी पिता स्व. श्री कुंजराम बाजपेयी, जाति-ब्राहम्ण, निवासी सूर्या चेंबर, सेकण्ड फ्लोर, व्यापार विहार रोड़, बिलासपुर के नाम से आवासीय प्रोजेक्ट तैयार कर 64 लोगों को विक्रय किया गया है। खसरा नंबर 100/7, 388/3 के संबंध में दस्तावेज का पंजीयन होना नहीं पाया गया है। उपरोक्त प्रोजेक्ट में अवैध विक्रय करने तथा क्रेताओं की राशि गबन करने की शिकायत विभाग को प्राप्त नहीं हुई है। शेष प्रश्नांश उपस्थित नहीं होता। (ख) कार्यालय कलेक्टर, (भू-अभिलेख शाखा) बिलासपुर एवं कार्यालय महानिरीक्षक पंजीयन एवं अधीक्षक मुद्रांक छत्तीसगढ़ रायपुर से प्राप्त जानकारी अनुसार, जानकारी निरंक है।

सामग्री खरीदी एवं प्राप्त आबंटन
[आदिम जाति तथा अनुसूचित जाति विकास, पिछड़ा वर्ग एवं अल्पसंख्यक विकास]

19. (क्र. 689) श्रीमती छन्नी चंदू साहू : क्या आदिम जाति विकास मंत्री , यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) वित्तीय वर्ष 2021-22एवं 2022-23 में दिनांक 30.11.2022 तक आदिवासी विकास राजनांदगांव को सामग्री पूर्ति मद में शासन से कितना आबंटन प्राप्त हुआ ? प्राप्त आबंटन से कितनी-कितनी राशि की क्या-क्या सामग्री खरीदी गई ? वर्षवार जानकारी देवें ? (ख) कंडिका " क" के अनुसार खरीदी गई सामाग्री को किन-किन छात्रावास / आश्रमों में वितरण किया गया ?

आदिम जाति विकास मंत्री (श्री प्रेमसाय सिंह टेकाम) : [(क) जानकारी संकलित की जा रही है। (ख) जानकारी संकलित की जा रही है।](क) प्राप्त आबंटन, व्यय एवं क्रय की गई सामग्री की वर्षवार जानकारी **पुस्तकालय में रखे प्रपत्र ''अ''** अनुसार है। (ख) छात्रावास/आश्रमों को वितरित सामग्रीयों की जानकारी **पुस्तकालय में रखे प्रपत्र ''ब''** अनुसार है।

कांकेर एवं कोंडागांव जिले में अवैध कालोनी निर्माण,रेरा के दिशा-निर्देश के उल्लंघन पर प्राप्त शिकायतें
[आवास एवं पर्यावरण]

20. (क्र. 691) श्री सन्त राम नेताम : क्या वन मंत्री , यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) वर्ष 2020 -21 ,2021 -22,2022 -23 में कांकेर एवं कोंडागांव जिले में अवैध कालोनी निर्माण,रेरा के दिशा निर्देश के उलंघन एवं अवैध प्लाटिग की कितनी शिकायतें प्राप्त हुई ? इस पर विभाग द्वारा किस स्तर पर क्या जाँच हुई है ,जाँच उपरांत क्या कार्यवाही की गई? (ख) क्या रेरा व जिला प्रशासन द्वारा किसी शिकायत पर संज्ञान लेते हुए कालोनी का पंजीयन निरस्त किया गया है? (ग) क्या निरस्ती उपरांत किसी कालोनी में कोलो नाइजर द्वारा रजिस्ट्री की गई है, अगर हाँ तो किस आधार पर रजिस्ट्री की गई?

वन मंत्री (J्री मोहम्मद अकबर) : [(क) एवं (ख) जानकारी एकत्रित की जा रही है। **]** (क)जिला उत्तर बस्तर कांकेर अंतर्गत वर्ष 2021-22 में 01 तथा वर्ष 2022-23 में 04, कुल 05 शिकायतें प्राप्त हुई हैं। की गई कार्यवाही की जानकारी **प्रपत्र-अ** पर संलग्न है।कांकेर जिले में अवैध निर्माण एवं अवैध प्लाटिंग से संबंधित 10 शिकायतें प्राप्त हुई थी। की गई कार्यवाही की जानकारी **प्रपत्र-ब** पर संलग्न है। छत्तीसगढ़ भू-संपदा विनियामक प्राधिकरण (रेरा) द्वारा भू-संपदा (विनियमन और विकास) अधिनियम, 2016 के उल्लंघन करने से संबंधित जिला कांकेर में 03 प्रकरण एवं जिला कोण्डागांव में 05 प्रकरण है। जानकारी **प्रपत्र-स** पर संलग्न है।(ख)जांच उपरांत कालोनाईजर्स नियमों का उल्लंघन किये जाने पर मुख्य नगर पालिका अधिकारी, नगर पालिका परिषद कांकेर द्वारा दिनांक 22.04.2022 को सतगुरू इन्फ्रा, प्रोजेक्ट श्रीनगर गोकुलधाम सोसायटी का कालोनाईजर्स रजिस्ट्रीकरण निरस्त कर दिनांक 26.04.2022 को शून्य किया गया है।(ग) सतगुरू इन्फ्रा, प्रोजेक्ट श्रीनगर गोकुलधाम सोसायटी का कालोनाईजर्स रजिस्ट्रीकरण निरस्त कर शून्य किये जाने के उपरांत उक्त फर्म द्वारा 03 रजिस्ट्री किया गया है। तहसीलदार द्वारा वर्तमान में उक्त नामांतरण पर रोक लगाई गई है।

परिशिष्ट-सात

बस्तर संभागान्तर्गत संचालित आश्रम/ छात्रावासों की स्थिति
[आदिम जाति तथा अनुसूचित जाति विकास, पिछड़ा वर्ग एवं अल्पसंख्यक विकास]

21. (क्र. 695) श्री बघेल लखेश्वर : क्या आदिम जाति विकास मंत्री , यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) बस्तर संभागान्तर्गत जिलों में संचालित आश्रमों एवं छात्रावासों की मरम्मत/रखरखाव हेतु वर्ष 2019-20 से 2020-21 तक बंटित एवं कुल व्यय की गई राशियों की जानकारी जिलेवार बतावें ? (ख) प्रश्नांश ''क'' के परिपेक्ष्य में ही प्राप्त कुल बंटित राशि से कुल कितने आश्रम/छात्रावासों की मरम्मत/रखरखाव का कार्य किया गया ? जिलेवार जानकारी देंवे ? (ग) प्रश्नांश ''ख'' के परिपेक्ष्य में ही जिला बस्तर अंतर्गत किन-किन आश्रम/छात्रावासों में कुल कितनी-कितनी राशि खर्च की गई ? बतावें ?

आदिम जाति विकास मंत्री (श्री प्रेमसाय सिंह टेकाम) : [(क) बस्तर संभागान्तर्गत जिलों में संचालित आश्रमों एवं छात्रावासों की मरम्मत/रखरखाव हेतु वर्ष 2019-20 से 2020-21 तक बंटित एवं कुल व्यय की गई राशियों की जिलेवार **जानकारी संलग्न प्रपत्र ''अ''** अनुसार है। (ख) बस्तर संभाग अंतर्गत मरम्मत/रखरखाव कार्य कराये गये आश्रम/छात्रावासों की संख्या की जिलेवार **जानकारी संलग्न प्रपत्र ''ब''** अनुसार है। (ग) जिला बस्तर अंतर्गत आश्रम/छात्रावासों में मरम्मत/रखरखाव पर व्यय की गई राशि की आश्रम/छात्रावासों के नाम सहित **जानकारी संलग्न प्रपत्र ''स''** अनुसार है।**]** (क) बस्तर संभागान्तर्गत जिलों में संचालित आश्रमों एवं छात्रावासों की मरम्मत/रखरखाव हेतु वर्ष 2019-20 से 2020-21 तक बंटित एवं कुल व्यय की गई राशियों की जिलेवार **जानकारी संलग्न प्रपत्र ''अ''** अनुसार है। (ख) बस्तर संभाग अंतर्गत मरम्मत/रखरखाव कार्य कराये गये आश्रम/छात्रावासों की संख्या की जिलेवार **जानकारी संलग्न प्रपत्र ''ब''** अनुसार है। (ग) जिला बस्तर अंतर्गत आश्रम/छात्रावासों में मरम्मत/रखरखाव पर व्यय की गई राशि की आश्रम/छात्रावासों के नाम सहित **जानकारी संलग्न प्रपत्र ''स''** अनुसार है। **[पृथक वितरित उत्तर]**

<u>परिशिष्ट-आठ</u>

<u>रायपुर स्थित कमल विहार योजना के अंतर्गत पुलिस थाना एवं चौकी हेतु भूमि आबंटन</u>
[आवास एवं पर्यावरण]

22. (क्र. 714) श्री ननकी राम कंवर : क्या वन मंत्री , यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) रायपुर विकास प्राधिकरण के कमल बिहार योजनांतर्गत में कितने पुलिस थाना एवं चौकी हेतु भूमि आंबटन किया गया है एवं व कहां-कहां पर प्रस्तावित हैं ? कितने थाना एवं चौकी का निर्माण कर स्थापित की जा चुकी है? यदि नहीं तो क्यों ? थाना एवं चौकियों का कार्य क्षेत्र कहां-कहां तक का है, तथा सेटअप कितना-कितना है ? (ख) क्या प्राधिकरण द्वारा गृह विभाग को उक्त क्षेत्र में थाना एवं चौकियों की स्थापना हेतु प्रस्ताव एवं भूखण्ड का आबंटन किया गया हुआ है ? यदि हां तो कब उक्त की स्थापना कब तक कर दी जावेगी ? (ग) क्या क्षेत्र में स्थापित उक्त उद्यानों एवं सिवरेज के कव्हर चोरी होने तथा उक्त सिवरेज में जन/धन की हानि एवं असामाजिक तत्वों द्वारा चोरी एवं लूट करने की कितनी शिकायतें वर्ष 2021 से 10 दिसम्बर, 2022 तक प्राप्त हुई? क्या घटना की प्राथमिक दर्ज की गई है एवं उस पर क्या कार्यवाही की गई? (घ) उक्त क्षेत्र में सुरक्षा/गश्त/पेट्रोलिंग की वर्तमान में क्या व्यवस्था है ?

वन मंत्री(J|मोहम्मद अकबर) : [(क) से (घ) जानकारी एकत्रित की जा रही है। **]**

(क) एवं (ख)	01 पुलिस स्टेशन के निर्माण हेतु भूमि आरक्षित है। गृह विभाग से प्राप्त जानकारी अनुसार कमल विहार योजना अंतर्गत पुलिस थाना एवं चौकी प्रस्तावित नहीं है। उक्त भूमि पर पुलिस स्टेशन स्थापना हेतु रायपुर विकास प्राधिकरण द्वारा पुलिस महानिदेशक, छत्तीसगढ़ को लेख किया गया है।

(ग) जी हां। गृह विभाग से प्राप्त जानकारी अनुसार प्रश्नाधीन अवधि में कुल 29 शिकायतें प्राप्त हुई। 24 शिकायतों में प्रकरण पंजीबद्ध किया गया है एवं 05 शिकायतें विवेचनाधीन है। (घ) गश्त/पेट्रोलिंग एवं आवश्यक सुरक्षा व्यवस्था संबंधित थाना मुजगहन द्वारा प्रदान की जा रही है।

fnlEcj& tuojh] 2022&23 l=d i'ukRrjk l lcf/kr ifjf'k"V

ifjf'k"V&,d

[i'u l[;k&01¼dekd&80½d Hkkx ^^d^^ dh tkudkjh]

ii=&v

विधान सभा अंताराकित प्रश्न क्रमांक 80, द्वारा मा. श्री अजय चन्द्राकर, सदस्य, छ.ग. विधान सभा

शहीद स्मारक की स्थापना के संबंध में जानकारी –वर्ष 2022–23

क्र.	जिला का नाम	शहीद स्मारक	
		स्वीकृत संख्या	निर्मित संख्या
1	*2*	*3*	*4*
1	रायपुर	0	0
2	बलौदाबाजार–भाटापारा	1	1
3	गरियाबंद	0	0
4	धमतरी	0	0
5	महासमुंद	0	0
6	दुर्ग	0	0
7	बालोद	0	0
8	बेमेतरा	0	0
9	राजनांदगांव	0	0
10	खैरागढ़–छुईखदान–गण्डई	0	0
11	मोहला–मानपुर–अम्बागढ़ चौकी	0	0
12	कबीरधाम	0	0
13	बिलासपुर	0	0
14	गौरेला–पेण्ड्रा–मरवाही	0	0
15	मुंगेली	0	0
16	जांजगीर–चांपा	0	0
17	सक्ती	0	0
18	कोरबा	0	0
19	रायगढ़	1	1
20	सारांगढ़–बिलाईगढ़	0	0
21	सरगुजा	0	0
22	बलरामपुर	0	0
23	सूरजपुर	0	0
24	कोरिया	0	0
25	मनेन्द्रगढ–चिरमिरी–भरतपुर	0	0
26	जशपुर	0	0
27	बस्तर	0	0
28	कोण्डागांव	0	0
29	कांकेर	2	2
30	नारायणपुर	0	0
31	दंतेवाड़ा	1	1
32	सुकमा	0	0
33	बीजापुर	0	0
योग		**5**	**5**

i i=&c

वन विभाग द्वारा प्रदेश में कृष्ण कुंज की स्थापना आदि के संबंध में जानकारी

वर्ष	जिले का नाम	कृष्ण कुंज का नाम			पूर्ण स्थापना की समयावधि	टीप
		लक्ष्य	स्थापित	शेष		
1	2	3	4	5	6	7
2022–23	बिलासपुर	7	7	0	स्थापना वित्तीय वर्ष 2022–23 में पूर्ण कर ली जावेगी।	
2022–23	बिलासपुर					
बिलासपुर जिला योग :–		7	7	0		
2022–23	गौरेला–पेण्ड्रा–मरवाही	2	2	0	स्थापना वित्तीय वर्ष 2022–23 में पूर्ण कर ली जावेगी।	
2022–23	गौरेला–पेण्ड्रा–मरवाही					
गौरेला–पेण्ड्रा–मरवाही जिला योग :–		2	2	0		
2022–23	कोरबा	1	1	0	स्थापना वित्तीय वर्ष 2022–23 में पूर्ण कर ली जावेगी।	
2022–23	कोरबा	4	4	0		
कोरबा जिला योग :–		5	5	0		
2022–23	रायगढ़	8	5	3	स्थापना वित्तीय वर्ष 2022–23 में पूर्ण कर ली जावेगी।	
2022–23	रायगढ़					
2022–23	रायगढ़	2	2	0		
रायगढ़ जिला योग :–		10	7	3		
2022–23	जांजगीर–चाम्पा	15	7	8	स्थापना वित्तीय वर्ष 2022–23 में पूर्ण कर ली जावेगी।	
2022–23	जांजगीर–चाम्पा					
2022–23	सक्ती					
जांजगीर–चाम्पा एवं सक्ती जिला योग :–		15	7	8		
2022–23	मुंगेली	वनमण्डल मुंगेली कार्य एजेंसी नहीं होने के कारण उपरोक्त विवरण वनमण्डल अंतर्गत संधारित नहीं है, अतः मुंगेली वनमण्डल की जानकारी निरंक है।				
कुलयोग :–		39	28	11		
2022–23	दुर्ग	11	9	2	वर्ष [illegible]–27 तक	
2022–23	बेमेतरा	8	7	1		
2022–23	बालोद	8	7	1	वर्ष 2022–23 से 2026–27 तक	
2022–23	राजनांदगांव	4	4	0	वर्ष 2022–23 से 2026–27 तक	
2022–23	खैरागढ़– छुईखदान– गंडई	4	4	0	वर्ष 2022–23 से 2026–27 तक	
2022–23	कबीरधाम	6	5	1	वर्ष 2022–23 से 2026–27 तक	
	कुल योग –	41	36	5		
2022.23	बस्तर	2	2	0	अक्टूबर 2022	
	योग बस्तर जिला :–	2	2	0	–	
2022.23	दन्तेवाड़ा	5	5	0	सितम्बर 2022 में रोपण किया गया है, सुरक्षा हेतु बारबेड वायर फेंसिग व गेट निर्माण कार्य कराया गया है। 13 दिसम्बर 2022	
	योग दंतेवाड़ा जिला :–	5	5	0		
2022.23	सुकमा	3	3	0	सितम्बर 2022 में रोपण किया गया है, सुरक्षा हेतु बारबेड वायर फेंसिग व गेट निर्माण कार्य कराया गया है।	
	योग सुकमा जिला :–	3	3	0		

वर्ष	जिले का नाम	कृष्ण कुंज का नाम			पूर्ण स्थापना की समयावधि	टीप
		लक्ष्य	स्थापित	शेष		
1	2	3	4	5	6	7
2022.23	बीजापुर	3	2	1	सितम्बर 2022 में रोपण किया गया है, सुरक्षा हेतु बारबेड वायर फेंसिग व गेट निर्माण कार्य कराया गया है।	
	योग बीजापुर जिला :–	3	2	1	-	
	कुल योग जगदलपुर वृत्तः–	13	12	1	-	
2022	कांकेर	**कृष्ण कुंज**– शास. भानु प्रतापदेव स्नातकोत्तर महा विद्यालय कांकेर में कृष्ण कुंज (नगरपालिका कांकेर)	**कृष्ण कुंज** – श्शासकीय भानुप्रतापदेव स्नातकोत्तर महाविद्यालय कांकेर में कृष्ण कुंज (नगर पालिका कांकेर)	0	19.08.2022	
2022	कांकेर	**कृष्ण कुंज** – नरहरपुर राजस्व खसरा क्रमांक 494 नगर पंचायत नरहरपुर	**कृष्ण कुंज** – नरहरपुर राजस्व खसरा क्रमांक 494 नगर पंचायत नरहरपुर	0	19.08.2022	
2022	कृष्ण कंज – ओ.ए. 1474 सिरसिदा नगर पंचायत चारामा				जिला प्रशासन से भूमि उपलब्ध नही कराया गया।	
2022	कांकेर	**कृष्ण कुंज**–नगरपंचायत भानुप्रतापपुर, ना.क्षे. भानुप्रतापपुर 'ए'	**कृष्ण कुंज** –नगरपंचायत भानुप्रतापपुर, ना.क्षे. भानुप्रतापपुर 'ए'	0	19.08.2022	
2022	कांकेर	**कृष्ण कुंज**– नगरपंचायत अंतागढ़, राजस्व क्षेत्रा ख.नं. 632/1 भानुप्रतापपुर 'ए'	**कृष्ण कुंज** – नगरपंचायत अंतागढ़, राजस्व क्षेत्रा ख.नं. 632/1 भानुप्रतापपुर 'ए'	0	19.08.2022	
2022	कांकेर	**कृष्ण कुंज**– नगरपंचायत पखांजूर	**कृष्ण कुंज**– नगरपंचायत पखांजूर	0	19.08.2022	
2022	कोण्डागांव	**कृष्ण कुंज**–ओ.ए. 2925 सुरडोंगर	**कृष्ण कुंज**–ओ.ए. 2925 सुरडोंगर	0	19.08.2022	
2022	कोण्डागांव	**कृष्णकुंज**–पी.103 पतोड़ा	**कृष्ण कुंज**–पी. 103 पतोड़ा	0	19.08.2022	
2022	कोण्डागांव	**कृष्ण कुंज**–कक्ष क्र. पी.एफ. 449 कोपाबेड़ा कोण्डागांव	**कृष्ण कुंज** – कक्ष क्र. पी.एफ. 449 कोपाबेड़ा कोण्डागांव	0	19.08.2022	
2022	नारायणपुर	**कृष्ण कुंज** – कक्ष क्र. पी. 2356 ए जैव विविधता पार्क नारायणपुर	**कृष्ण कुंज** – कक्ष क्र. पी. 2356 ए जैव विविधता पार्क नारायणपुर	0	19.08.2022	
	कुल योग–	10	9	1	-	
2022-23	रायपुर	अटारी	अटारी	0	मार्च 2023	
2022-23	रायपुर	उरकुरा	उरकुरा	0	मार्च 2023	
2022-23	रायपुर	आरंग	आरंग	0	मार्च 2023	
2022-23	रायपुर	उरला	उरला	0	मार्च 2023	
2022-23	रायपुर	खरोरा	खरोरा	0	मार्च 2023	
2022-23	रायपुर	कुर्रा	कुर्रा	0	मार्च 2023	
2022-23	रायपुर	समोदा	समोदा	0	मार्च 2023	
2022-23	रायपुर	चंदखुरी	चंदखुरी	0	मार्च 2023	
2022-23	रायपुर	कुरुद	कुरुद	0	मार्च 2023	
2022-23	रायपुर	तेलीबांधा	तेलीबांधा	0	मार्च 2023	

वर्ष	जिले का नाम	कृष्ण कुंज का नाम			पूर्ण स्थापना की समयावधि	टीप
		लक्ष्य	स्थापित	शेष		
1	2	3	4	5	6	7
2022-23	रायपुर	नगरपालिका तिल्दा–नेवरा	-	1	स्थल उपलब्ध नही होने के कारण कृष्णकुंज की स्थापना नही की गई है।	
2022-23	रायपुर	नगरपालिका गोबरा–नवापारा	-	1		
2022-23	रायपुर	नगर पंचायत माना कैम्प	-	1		
	योग –	13	10	3		
2022-23	बलौदाबाजार	बलौदाबाजार कुकुरदी खसरा नं. 281/1	बलौदाबाजार कुकुरदी खसरा नं. 281/1	0	मार्च 2023	
2022-23	बलौदाबाजार	भाटापारा ख. नं. 97/1	भाटापारा खसरा नं. 97/1	0	मार्च 2023	
2022-23	बलौदाबाजार	सिमगा ख. नं. 577/1	सिमगा खसरा नं. 577/1	0	मार्च 2023	
2022-23	बलौदाबाजार	कसडोल ख. नं. 18/1	कसडोल खसरा नं. 18/1	0	मार्च 2023	
2022-23	बलौदाबाजार	भटगांव खसरा नं. 3635/1/क	भटगांव खसरा नं. 3635/1/क	0	मार्च 2023	
2022-23	बलौदाबाजार	पलारी ख. नं. 1199/3	पलारी खसरा नं. 1199/3	0	मार्च 2023	
2022-23	बलौदाबाजार	लवन खसरा नं. 2341/1/क	लवन खसरा नं. 2341/1/क	0	मार्च 2023	
2022-23	बलौदाबाजार	टुण्डरा खसरा नं. 1014/1	टुण्डरा खसरा नं. 1014/1	0	मार्च 2023	
2022-23	बलौदाबाजार	नगरपंचायत बिलाईगढ़	—	1	स्थल उपलब्ध नही होने के कारण कृष्णकुंज की स्थापना नही की गई है।	
	योग –	9	8	1		
2022-23	महासमुन्द	कृष्णकुंज निर्माण कार्य (संजय कानन उद्यान खैरा) महासमुन्द	कृष्णकुंज निर्माण कार्य (संजय कानन उद्यान खैरा) महासमुन्द	0	मार्च 2023	
2022-23	महासमुन्द	कृष्णकुंज निर्माण कार्य (नगरपंचायत तुमगांव, गाड़ाघाट)	कृष्णकुंज निर्माण कार्य (नगरपंचायत तुमगांव, गाड़ाघाट)	0	मार्च 2023	
2022-23	महासमुन्द	कृष्णकुंज निर्माण पिथौरा, खसरा नंबर. 306/01 क, 306/01 छ तुकड़ा	कृष्णकुंज निर्माण पिथौरा, ख. नं. 306/01 क, 306/01 छ तुकड़ा	0	मार्च 2023	
2022-23	महासमुन्द	कृष्णकुंज निर्माण कार्य (स्व. जयदेव सतपथी महा विद्यालय के बाजू बसना)	कृष्णकुंज निर्माण कार्य (स्व. जयदेव सतपथी महा विद्यालय के बाजू बसना)	0	मार्च 2023	
2022-23	महासमुन्द	कृष्णकुंज निर्माण कार्य (ग्राम पतेरापाली, खसरा नंबर 14) सरायपाली	कृष्णकुंज निर्माण कार्य (ग्राम पतेरापाली, खसरा नंबर 14) सरायपाली	0	मार्च 2023	
2022-23	महासमुन्द	कृष्णकुंज निर्माण बागबाहरा	—	1	स्थल उपलब्ध नही होने से कृष्ण कुंज की स्थापना नही की गई है।	
--	योग –	6	5	1	-	
2022-23	धमतरी	नगरनिगम धमतरी– ग्राम कोलियारी (ख.नं. 789)	नगरनिगम धमतरी– ग्राम कोलियारी (ख.नं. 789)	0	मार्च 2023	
2022-23	धमतरी	नगर पंचायत भखारा – खसरा नंबर 410/1	नगर पंचायत भखारा – खसरा नंबर 410/1	0	मार्च 2023	

वर्ष	जिले का नाम	कृष्ण कुंज का नाम			पूर्ण स्थापना की समयावधि	टीप
		लक्ष्य	स्थापित	शेष		
1	2	3	4	5	6	7
2022-23	धमतरी	नगर पंचायत आमदी – खसरा नंबर 2090	नगर पंचायत आमदी – खसरा नंबर 2090	0	मार्च 2023	
2022-23	धमतरी	नगर पंचायत मगरलोड – खसरा 677 का टुकड़ा	नगर पंचायत मगरलोड – खसरा 677 का टुकड़ा	0	मार्च 2023	
2022-23	धमतरी	नगर पंचायत नगरी – मुकुंदपुर 828/1	नगर पंचायत नगरी – मुकुंदपुर 828/1	0	मार्च 2023	
2022-23	धमतरी	नगर पंचायत कुरूद – खसरा नंबर 583/1		1	स्थल उपलब्ध नही होने से कृष्ण कुंज की स्थापना नही की गई है।	
--	योग –	6	5	1	–	
2022-23	गरियाबंद	नगर पंचायत, राजिम ख.नं. 569/1, 569/2	नगर पंचायत, राजिम ख.नं. 569/1, 569/2	0	मार्च 2023	
2022-23	गरियाबंद	छुरा, ख.नं. 76	छुरा, ख.नं. 76	0	मार्च 2023	
2022-23	गरियाबंद	गरियाबंद ख.नं. 40	गरियाबंद ख.नं. 40	0	मार्च 2023	
--	योग –	3	3	0	–	
--	कुल योग –	37	31	6	–	
2022–23	सरगुजा	नगर निगम अम्बिकापुर	नगर निगम अम्बिकापुर	0	19 अगस्त 2022	राजस्थान राज्य विद्युत उत्पादन निगम लिमिटेड जयपुर (राजस्थान) द्वारा स्वयं कार्य कराया जा रहा है। विभाग को राशि प्रदान नहीं की गई है।
2022–23	सरगुजा	नगर पंचायत सीतापुर	नगर पंचायत सीतापुर	0	19 अगस्त 2022	भुगतान की कार्यवाही प्रगति पर है।
2022–23	सरगुजा	नगर पंचायत लखनपुर	नगर पंचायत लखनपुर	0	19 अगस्त 2022	
	योग –	3	3	0		
2022–23	सूरजपुर	नगर पंचायत प्रतापपुर	नगर पंचायत प्रतापपुर	0	जनवरी 2023	कार्य वन विभाग द्वारा कराया गया है, कार्य हेतु रू.6.30 लाख आबंटन प्राप्त है तथा शेष राशि रू.0.40 लाख DMF मद से प्राप्त होगा। कार्यो का भुगतान प्रगति पर है।
2022–23	सूरजपुर	नगर पंचायत जरही	नगर पंचायत जरही	0	जनवरी 2023	औद्योगिक संस्थान एस.ई.सी.एल. भटगांव द्वारा कराये गये कार्यो का भुगतान स्वयं किया जा रहा है। विभाग को राशि प्रदान नहीं की गई है।
2022–23	सूरजपुर	नगर पालिका सूरजपुर	नगर पालिका सूरजपुर	0	जनवरी 2023	औद्योगिक संस्थान राजस्थान राज्य विद्युत उत्पादन निगम लिमिटेड उदयपुर द्वारा स्वयं कार्य कराया जा रहा है। विभाग को राशि प्रदान नहीं की गई है।
2022–23	सूरजपुर	नगर पंचायत बिश्रामपुर	नगर पंचायत बिश्रामपुर	0	जनवरी 2023	कार्य वन विभाग द्वारा कराया गया है, कार्य हेतु रू.4.99 लाख आबंटन प्राप्त है तथा शेष राशि रू.1.71 लाख DMF मद से प्राप्त होगा। कार्यो का भुगतान प्रगति पर है।
2022–23	सूरजपुर	नगर पंचायत भटगांव	नगर पंचायत भटगांव	0	जनवरी 2023	औद्योगिक संस्थान एस.ई.सी.एल. भटगांव द्वारा कराये गये कार्यो का भुगतान स्वयं किया जा रहा है। विभाग को राशि प्रदान नहीं की गई है।
2022–23	सूरजपुर	नगर पंचायत प्रेमनगर	नगर पंचायत प्रेमनगर	0	जनवरी 2023	कार्य वन विभाग द्वारा कराया गया है, कार्य हेतु रू.4.92 लाख आबंटन प्राप्त है तथा शेष राशि रू.1.78 लाख DMF मद से प्राप्त होगा। कार्यो का भुगतान प्रगति पर है।
	योग –	6	6	0		
2022–23	बलरामपुर	नगरपंचायत बलरामपुर (ख. नं. 277, 278, 246 W.R.D. कार्या. कैम्पस एवं कलेक्ट्रेट के पूर्व)	नगरपंचायत बलरामपुर (ख. नं. 277, 278, 246 W.R.D. कार्या. कैम्पस एवं कलेक्ट्रेट के पूर्व)	0	19 अगस्त 2022	गेट/बाउण्ड्रीवाल एवं फेंसिंग निर्माण कार्य डी.एम.एफ. मद से ग्राम पंचायत के माध्यम से कार्य कराया गया है। राशि वन विभाग को नहीं मिला है। वन विभाग द्वारा वृक्षारोपण कार्य कराया गया है। भुगतान की कार्यवाही प्रगतिरत् है। शीघ्र भुगतान पूर्ण कर लिया जावेगा। समस्त कार्य पूर्ण कर लिये गये हैं।
2022–23	बलरामपुर	नगर पंचायत रामानुजगंज (कक्ष क्रमाक पी 3435 वन वाटिका रामानुजगंज)	नगरपंचायत रामानुजगंज (कक्ष क्रमाक पी 3435 वन वाटिका रामानुजगंज)	0	19 अगस्त 2022	शेष राशि के भुगतान की कार्यवाही प्रगतिरत् है। शीघ्र भुगतान पूर्ण कर लिया जावेगा। समस्त कार्य पूर्ण कर लिये गये हैं।
2022–23	बलरामपुर	नगर पंचायत राजपुर (महुआपारा खसरा न. 21/1)	नगर पंचायत राजपुर (महुआपारा खसरा न. 21/1)	0	19 अगस्त 2022	महाप्रबंधक, महान–2, ओपन काष्ठ, भटगांव एरिया जिला सूरजपुर द्वारा वन परिक्षेत्राधिकारी वन विकास निगम भटगांव के माध्यम से कार्य कराया गया है। राशि वन विभाग को नहीं मिला है।
2022–23	बलरामपुर	नगरपंचायत वाड्रफनगर (कक्ष क्र. पी699 वनपरिसर)	नगरपंचायत वाड्रफनगर (कक्ष क्र. पी 699 वनपरिसर)	0	19 अगस्त 2022	शेष राशि के भुगतान की कार्यवाही प्रगतिरत् है। शीघ्र भुगतान पूर्ण कर लिया जावेगा। समस्त कार्य पूर्ण कर लिये गये हैं।

वर्ष	जिले का नाम	कृष्ण कुंज का नाम			पूर्ण स्थापना की समयावधि	टीप
		लक्ष्य	स्थापित	शेष		
1	2	3	4	5	6	7
2022–23	बलरामपुर	नगरपंचायत कुसमी (शास. भूमि खसरा नं. 65)	नगरपंचायत कुसमी (शास. भूमि ख. नं. 65)	0	19 अगस्त 2022	महाप्रबंधक, हिण्डाल्को इन्डस्ट्रीज लिमिटेड सामरी बाक्साइड माईंस कुसमी द्वारा कार्य कराया गया है। राशि वन विभाग को नहीं मिला है।
	योग –	5	5	0	.	
2022–23	कोरिया	नगर पालिका बैकुण्ठपुर रामपुर ख.न. 32/3	नगर पालिका बैकुण्ठपुर रामपुर ख.न. 32/3	0	19 अगस्त 2022	शेष राशि के भुगतान की कार्यवाही प्रगति पर है।
2022–23	कोरिया	नगर पालिका चिरमिरी केराडोल ख.न. 2/1	नगर पालिका चिरमिरी केराडोल ख.न. 2/1	0	19 अगस्त 2022	शेष राशि के भुगतान की कार्यवाही प्रगति पर है।
2022–23	कोरिया	नगरपालिका शिवपुर चरचा सरडी बांधपारा ख.न. 431	नगरपालिका शिवपुर चरचा सरडी बांधपारा ख.न. 431	0	19 अगस्त 2022	शेष राशि के भुगतान की कार्यवाही प्रगति पर है।
	योग –	3	3	0		
2022–23	मनेन्द्रगढ़– चिरमिरी–भरतपुर	नगर पंचायत झगराखाण्ड ख.न. 12	नगर पंचायत झगराखाण्ड ख.न. 12	0	जनवरी 2023	पौधा रोपण कार्य पूर्ण हो चुका है, शेष कार्य प्रगतिरत है, भुगतान की कार्यवाही प्रगति पर है।
2022–23	मनेन्द्रगढ़– चिरमिरी–भरतपुर	नगर पंचायत खोगापानी ख.न. 367	नगरपंचायत खोगापानी ख.न. 367	0	जनवरी 2023	पौधा रोपण कार्य पूर्ण हो चुका है, शेष कार्य प्रगतिरत है, भुगतान की कार्यवाही प्रगति पर है।
2022–23	मनेन्द्रगढ़– चिरमिरी–भरतपुर	नगर पंचायत नई लेदरी ख.न. 4	नगर पंचायत नई लेदरी ख.न. 4	0	जनवरी 2023	पौधा रोपण कार्य पूर्ण हो चुका है, शेष कार्य प्रगतिरत है, भुगतान की कार्यवाही प्रगति पर है।।
2022–23	मनेन्द्रगढ़– चिरमिरी–भरतपुर	नगर पालिका मनेन्द्रगढ़ ख.न. 510	नगर पालिका मनेन्द्रगढ़ ख.न. 510	0	जनवरी 2023	पौधा रोपण कार्य पूर्ण हो चुका है, शेष कार्य प्रगतिरत है, भुगतान की कार्यवाही प्रगति पर है।
	योग –	4	4	0		
2022–23	जशपुर	नगर पालिका जशपुर	नगर पालिका जशपुर	0	19 अगस्त 2022	शेष राशि के भुगतान की कार्यवाही प्रगति पर है।
2022–23	जशपुर	नगर पंचायत कुनकुरी	नगर पंचायत कुनकुरी	0	19 अगस्त 2022	शेष राशि के भुगतान की कार्यवाही प्रगति पर है।
2022–23	जशपुर	नगर पंचायत बगीचा	नगर पंचायत बगीचा	0	19 अगस्त 2022	शेष राशि के भुगतान की कार्यवाही प्रगति पर है।
2022–23	जशपुर	नगर पंचायत पत्थलगांव	नगरपंचायत पत्थलगांव	0	19 अगस्त 2022	शेष राशि के भुगतान की कार्यवाही प्रगति पर है।
2022–23	जशपुर	नगर पंचायत कोतबा	नगरपंचायत कोतबा	0	19 अगस्त 2022	शेष राशि के भुगतान की कार्यवाही प्रगति पर है।
	योग –	5	5	0		
	कुल योग –	26	26	0		
	महायोग –	166	142	24		

ifjf'k"V&^^nk^^

[i'u l[;k&03½Øekd&89½ d Hkkx ^^d^^ ,o ^^[k^^ dh tkudkjh]

प्रपत्र-अ

नवीन गौठान निर्माण में मदवार व्यय राशि की जानकारी

(राशि लाख में)

क्र.	मद का नाम	व्यय राशि
1	मनरेगा	67018.780
2	स्वच्छ भारत मिशन	668.840
3	14 वां वित्त	5209.640
4	15 वां वित्त	2658.213
5	14 वां/15 वां वित्त	2324.080
6	अधोसंरचना मद	1018.790
7	अनुसूचित जाति प्राधिकरण	283.380
8	बस्तर विकास प्राधिकरण	350.530
9	छ.ग. राज्य ग्रामीण एवं अन्य पिछड़ा वर्ग क्षेत्र विकास प्राधिकरण मद	1420.017
10	आदिवासी विकास प्राधिकरण	0.360
11	एल.डब्लू.ई.	69.790
12	लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग (नलकूप)	107.190
13	क्रेडा मद (सोलर पम्प स्थापना)	2139.750
14	रूर्बन	433.641
15	राष्ट्रीय कृषि विकास योजना	730.190
16	राज्य प्रवर्तित योजना	210.720
17	मूलभूत	40.000
18	जिला खनिज न्यास	7196.110
19	अन्य गौण खनिज	2.490
20	जनपद विकास निधि	53.300
21	सामान्य मद (नगर निगम एवं नगर पालिका)	166.370
22	पंचायत प्रोत्साहन/पुरस्कार	28.120
23	सी.एस.आर. मद	71.040
24	अन्य	25.510
	योग	**92226.851**

प्रपत्र-ब

गोठानों में संचालित प्रमुख गतिविधियाँ

क्र.	गतिविधि
1	गोबर क्रय
2	वर्मी कम्पोस्ट उत्पादन
3	सुपर कम्पोस्ट उत्पादन
4	सुपर कम्पोस्ट प्लस उत्पादन
5	केंचुआ उत्पादन
6	मुर्गी पालन
7	बतख पालन
8	बकरी पालन
9	मशरूम उत्पादन
10	मत्स्य पालन
11	सामूदायिक बाड़ी
12	अचार/बड़ी/पापड़ आदि निर्माण
13	फिनाईल निर्माण
14	एल.ई.डी. निर्माण
15	डिटर्जेन्ट पाऊडर
16	गौमूत्र के विभिन्न उत्पाद/कीटनाशी निर्माण
17	अगरबत्ती निर्माण
18	फूल उत्पादन
19	खाद्य प्रसंस्करण एवं मसाला निर्माण जैसी गतिविधियाँ
20	गोकाष्ठ, गोबर के दीये, गमला, गोबर पेंट आदि
21	पेवर ब्लॉक, चेन लिंक फेंसिंग, सीमेन्ट पोल निर्माण

ifjf'k"V&^^rhu^^

[i 'u l [; k& 07¼Ø-&360½ d Hkkx ^^d^^ l ^^x^^ dh tkudkjh]

''प्रपत्र''

जैजैपुर विधानसभा क्षेत्र अंतर्गत आने वाले थाना में दर्ज चोरी के प्रकरणों की जानकारी वित्तीय वर्ष 2021-22 एवं 2022-23 (दिनांक 30 नवंबर 2022 तक की स्थिति में)

वित्तीय वर्ष	दर्ज प्रकरण	कितने आरोपी पकड़े गये		कितने आरोपी अज्ञात है।		निराकरण		लंबित प्रकरण	लंबित प्रकरणों का कब तक निराकण होगा।
		प्रकरण	आरोपी	प्रकरण	आरोपी	चालान	खात्मा		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2021-22	42	02	04	40	आरोपी अज्ञात होने से संख्या बताना संभव नहीं हैं।	02	37	03	प्रकरण विवेचनाधीन हैं। निराकरण की समय-सीमा बताना संभव नहीं हैं।
2022-23	45	04	09	41		04	11	30	

ifjf'k"V&^pkj^

[i'u l[;k&09¼Ø-&460½ d ^d^ l ^x^ dh tkudkjh] **प्रपत्र-अ**

(1) चैम्प्स प्रणाली अंतर्गत स्प्रिंकलर पाईप हेतु पंजीकृत निर्माताओं की सूची वर्ष 2021-22 एवं वर्ष 2022-23 में नवम्बर 2022 की स्थिति में:-

स.क्र.	निर्माता/राज्य स्तरीय डिस्ट्रीब्यूटर कंपनी का नाम एवं पता
1	2
1.	मेसर्स कायरा टेक्नोप्लास्ट प्रा.लि., ग्राम-बरडिया, निरंजन नगर, खरस्वाड रोड, खरगांव
2.	मेसर्स जे.जे. पाईपस्, पार्ट-ए, इंडस्ट्रियल एरिया, रावाभाठा रायपुर (छ.ग.)
3.	मेसर्स अनंत ईरीगेशन, 38 एकेवीएन इंडस्ट्रियल एरिया, रूधी-भावसिंगपुरा, खंडवा (म.प्र.)
4.	मेसर्स एम.एम. प्रांजल इंडस्ट्रीज प्रा.लि., विकासखण्ड-धरसीवा, सिलियारी रोड, देवरी, रायपुर (छ.ग.)
5.	मेसर्स आकार पॉलीप्लास्ट प्रा.लि., मेन रोड बंगोली, तह-तिल्दा, जिला-रायपुर (छ.ग.)
6.	मेसर्स फिनोलेक्स प्लासन इंडस्ट्रीज़ पूने महाराष्ट्र
7.	मेसर्स कैप्टन पॉलीप्लास्ट प्रा. लि., राजकोट
8.	मेसर्स बालसन पॉलीप्लास्ट प्रा. लि, राजकोट
9.	मेसर्स जैन ईरिगेशन सिस्टम लि, जलगावं महाराष्ट्र
10.	मेसर्स प्रिमियर ईरिगेशन एड्रीटेक प्रा. लि., रायपुर
11.	मेसर्स साई एग्रीटेक, महाराष्ट्र, यवतमाल
12.	मेसर्स बालाजी पॉलीप्लास्ट, रायपुर
13.	मेसर्स अग्रवाल पैकेजिंग, रायपुर
14.	मेसर्स किसान ईरिगेशन एंड इंफ्रास्ट्रकचर, मुंबई
15.	मेसर्स कन्हैया इंडस्ट्रीज़, रायपुर
16.	मेसर्स गौतम प्लास्टिक एंड इंडस्ट्रीज़, बिलासपुर
17.	मेसर्स प्रेम इंडस्ट्रीज़, रायपुर
18.	मेसर्स ग्रीन गोल्ड ईरिगेशन प्रा.लि., राजनांदगांव
19.	मेसर्स स्वास्तिक इंडस्ट्रीज़, रायपुर
20.	मेसर्स यूनाईटेड पाईप, रायपुर
21.	मेसर्स हिन्द पाईप इंडस्ट्रीज, रायपुर
22.	मेसर्स ए.बी. एग्रो पाईप, रायपुर
23.	मेसर्स श्वेता इंटरप्राईजेस, रायपुर
24.	मेसर्स मेकनाउ इंडस्ट्रीज, रायपुर
25.	मेसर्स प्रगति पाईपस् इंडस्ट्रीज प्रा.लि., रायपुर
26.	मेसर्स पारस ड्रिप इरीगेशन, राजनांदगांव
27.	मेसर्स वेदांत पॉली एग्रो, राजनांदगांव
28.	मेसर्स अन्नपूर्णा इंडस्ट्रीज, रायपुर
29.	मेसर्स इरीलिंक ड्रिप इरीगेशन इंडस्ट्रीज, गुजरात
30.	मेसर्स रूंगटा इरीगेशन लि., हैदराबाद
31.	मेसर्स श्री भण्डारी प्लास्टिक प्रा.लि., जयपुर
32.	मेसर्स सिगनेट इंडस्ट्रीज लिमि., इंदौर
33.	मेसर्स कोठारी एग्रीटेक, प्रा.लि., रायपुर
34.	मेसर्स महिन्द्रा ईपीसी इरीगेशन लिमि, महाराष्ट्र
35.	मेसर्स उर्मिला पॉलीमर्स, रायपुर

स.क्र.	निर्माता/राज्य स्तरीय डिस्ट्रीब्यूटर कंपनी का नाम एवं पता
1	2
36.	मेसर्स सिद्धार्थ पाईपस् एण्ड फिटिंगस्, रायपुर
37.	मेसर्स आकाश इंडस्ट्रीज, राजनांदगांव
38.	मेसर्स भूमि पॉलीमर्स, प्रा.लि., राजकोट
39.	मेसर्स सोना पॉलीप्लास्ट प्रा.लि., कोपरगांव, महाराष्ट्र
40.	मेसर्स मोहक एग्रो इंडस्ट्रीज, अहमदनगर
41.	मेसर्स डोलफिन पॉली प्लास्ट प्रा.लि., राजकोट, गुजरात
42.	मेसर्स स्पार्क इरीगेशन प्रा.लि., जलगांव, महाराष्ट्र
43.	मेसर्स हालमार्क, एक्वा इक्यूपमेंट प्रा.लि., कोलकाता
44.	मेसर्स हनुकृपा एग्रो इंडस्ट्रीज, रायपुर

(2) चैम्प्स प्रणाली अंतर्गत डीजल चलित पंप हेतु पंजीकृत निर्माताओं/राज्य स्तरीय डिस्ट्रीब्यूटर कंपनियों की सूची वर्ष 2021-22 एवं वर्ष 2022-23 में नवम्बर 2022 की स्थिति में:-

स.क्र.	निर्माता/राज्य स्तरीय डिस्ट्रीब्यूटर कंपनी का नाम एवं पता
1	2
1.	मेसर्स किसान क्राफ्ट मशीन टूल्स प्रा.लि., श्री हुचन्ना टावर क्र. 4, 1 मेन 7-ए, क्रास मारूति ले आउट, दसराहल्ली बेंगलोर-560024
2.	मेसर्स खन्ना स्टील ट्रेडर्स, स्टेशन रोड रायपुर (छ.ग.)
3.	मेसर्स गुप्ता मोटर्स, सी-29, सेक्टर 3, देवेन्द्र नगर, रायपुर
4.	मेसर्स जी.सी. एग्रीकल्चर स्टोर्स, सक्ती, जिला-जांजगीर चांपा
5.	मेसर्स एस.एस. स्टील सेंटर, 1/110 नेहरू कॉम्पलेक्स, व्यापार विहार, बिलासपुर
6.	मेसर्स एग्रीकेनिक मशीनरी प्रा.लि., रिंग रोड नं. 1, कुशालपुर, रायपुर
7.	मेसर्स अजय कृषि केन्द्र, जगदलपुर
8.	मेसर्स एस टेक्नोलॉजी, बिलासपुर
9.	मेसर्स एलाईट एग्रो इंजिनियर्स, रायपुर
10.	मेसर्स आशुतोष इलेक्ट्रिकल्स, दुर्ग
12.	मेसर्स बाम्बे मशीनरी स्टोर्स, रायपुर
13.	मेसर्स देव मोटर्स, गरियाबंद
16.	मेसर्स इंडियन इलेक्ट्रिकल्स, रायपुर
17.	मेसर्स इंडियन मशीनरी स्टोर्स, बिलासपुर
18.	मेसर्स माता दी इलेक्ट्रिकल्स, गरियाबंद
19.	मेसर्स पार्श्वा डीजल प्रा.लि., राजकोट
20.	मेसर्स रिलायबल डिस्ट्रीब्यूटर, रायपुर
21.	मेसर्स रॉकेट इंजिनियरिंग कोर्पोरेशन प्रा.लि., महाराष्ट्र
22.	मेसर्स सदर्न एग्रो इंज

प्रपत्र-ब

(1) वर्ष 2021-22 एवं वर्ष 2022-23 में नवम्बर 2022 की स्थिति में चैम्प्स प्रणाली अंतर्गत स्प्रिंकलर पाईप हेतु पंजीकृत निर्माताओं/ब्रांड की जानकारीः-

स.क्र.	निर्माता/राज्य स्तरीय डिस्ट्रीब्यूटर कंपनी का नाम एवं पता	ब्रांड	विवरण
1	2	3	4
1.	मेसर्स कायरा टेक्नोप्लास्ट प्रा.लि., ग्राम-बरडिया, निरंजन नगर, खरस्वाड रोड, खरगांव	कायरा	निर्माता
2.	मेसर्स जे.जे. पाईपस्, पार्ट-ए, इंडस्ट्रियल एरिया, रावाभाठा रायपुर (छ.ग.)	जे.जे. गोल्ड	निर्माता
3.	मेसर्स अनंत ईरीगेशन, 38 एकेवीएन इंडस्ट्रियल एरिया, रूधी-भावसिंगपुरा, खंडवा (म.प्र.)	धनुका	निर्माता
4.	मेसर्स एम.एम. प्रांजल इंडस्ट्रीज प्रा.लि., विकासखण्ड-धरसीवा, सिलियारी रोड, देवरी, रायपुर (छ.ग.)	प्रांजल	निर्माता
5.	मेसर्स आकार पॉलीप्लास्ट प्रा.लि., मेन रोड बंगोली, तह-तिल्दा, जिला-रायपुर (छ.ग.)	अनमोल	निर्माता
6.	मेसर्स फिनोलेक्स प्लासन इंडस्ट्रीज़ पूने महाराष्ट्र	फिनोलेक्स प्लासन	निर्माता
7.	मेसर्स कैप्टन पॉलीप्लास्ट प्रा. लि., राजकोट	कैप्टन	निर्माता
8.	मेसर्स बालसन पॉलीप्लास्ट प्रा. लि, राजकोट	बालसन	निर्माता
9.	मेसर्स जैन ईरिगेशन सिस्टम लि, जलगावं महाराष्ट्र	जैन	निर्माता
10.	मेसर्स प्रिमियर ईरिगेशन एड्रीटेक प्रा. लि., रायपुर	प्रिमियर	निर्माता
11.	मेसर्स साई एग्रीटेक, महाराष्ट्र, यवतमाल	प्लेटिनम	निर्माता
12.	मेसर्स बालाजी पॉलीप्लास्ट, रायपुर	फ्लडलाईन	निर्माता
13.	मेसर्स अग्रवाल पैकेजिंग, रायपुर	इगल पावर	निर्माता
14.	मेसर्स किसान ईरिगेशन एंड इंफ्रास्ट्रकचर, मुंबई	किसान	निर्माता
15.	मेसर्स कन्हैया इंडस्ट्रीज़, रायपुर	कमलेस	निर्माता
16.	मेसर्स गौतम प्लास्टिक एंड इंडस्ट्रीज़, बिलासपुर	गौतम	निर्माता
17.	मेसर्स प्रेम इंडस्ट्रीज़, रायपुर	प्रमोलेक्स/एस सुप्रीम	निर्माता
18.	मेसर्स ग्रीन गोल्ड ईरिगेशन प्रा.लि., राजनांदगांव	ग्रीन गोल्ड	निर्माता
19.	मेसर्स स्वास्तिक इंडस्ट्रीज़, रायपुर	स्वास्तिक	निर्माता
20.	मेसर्स यूनाईटेड पाईप, रायपुर	अवतार	निर्माता
21.	मेसर्स हिन्द पाईप इंडस्ट्रीज, रायपुर	हलधर/ईश्वर प्लास्ट	निर्माता
22.	मेसर्स ए.बी. एग्रो पाईप, रायपुर	एस.एस. गोल्ड एण्ड सुपर	निर्माता
23.	मेसर्स श्वेता इंटरप्राईजेस, रायपुर	डरबी	निर्माता
24.	मेसर्स मेकनाउ इंडस्ट्रीज, रायपुर	मेकनाउ	निर्माता
25.	मेसर्स प्रगति पाईपस् इंडस्ट्रीज प्रा.लि., रायपुर	बासुकी	निर्माता
26.	मेसर्स पारस ड्रिप इरीगेशन, राजनांदगांव	पारस ड्रिप	निर्माता
27.	मेसर्स वेदांत पॉली एग्रो, राजनांदगांव	वेदांत	निर्माता
28.	मेसर्स अन्नपूर्णा इंडस्ट्रीज, रायपुर	ओसियन प्लस	निर्माता
29.	मेसर्स इरीलिंक ड्रिप इरीगेशन इंडस्ट्रीज, गुजरात	इरीलिंक	निर्माता
30.	मेसर्स रूंगटा इरीगेशन लि., हैदराबाद	रूंगटा	निर्माता
31.	मेसर्स श्री भण्डारी प्लास्टिक प्रा.लि., जयपुर	सागर	निर्माता
32.	मेसर्स सिगनेट इंडस्ट्रीज लिमि., इंदौर	सौरभ शक्तिमान	निर्माता
33.	मेसर्स कोठारी एग्रीटेक, प्रा.लि., रायपुर	कोठारी पाईपस्	निर्माता
34.	मेसर्स महिन्द्रा ईपीसी इरीगेशन लिमि, महाराष्ट्र	महिन्द्रा ईपीसी	निर्माता

स.क्र.	निर्माता/राज्य स्तरीय डिस्ट्रीब्यूटर कंपनी का नाम एवं पता	ब्रांड	विवरण
1	2	3	4
35.	मेसर्स उर्मिला पॉलीमर्स, रायपुर	श्रीजी	निर्माता
36.	मेसर्स सिद्धार्थ पाईपस् एण्ड फिटिंगस्, रायपुर	क्लासिक	निर्माता
37.	मेसर्स आकाश इंडस्ट्रीज, राजनांदगांव	आकाश	निर्माता
38.	मेसर्स भूमि पॉलीमर्स, प्रा.लि., राजकोट	भूमि	निर्माता
39.	मेसर्स सोना पॉलीप्लास्ट प्रा.लि., कोपरगांव, महाराष्ट्र	सोना	निर्माता
40.	मेसर्स मोहक एग्रो इंडस्ट्रीज, अहमदनगर	बोठर्रा	निर्माता
41.	मेसर्स डोलफिन पॉली प्लास्ट प्रा.लि., राजकोट, गुजरात	डोलफिन	निर्माता
42.	मेसर्स स्पार्क इरीगेशन प्रा.लि., जलगांव, महाराष्ट्र	स्पार्क	निर्माता
43.	मेसर्स हालमार्क, एक्वा इक्यूपमेंट प्रा.लि., कोलकाता	हालमार्क	निर्माता
44.	मेसर्स हनुकृपा एग्रो इंडस्ट्रीज, रायपुर	हनुकृपा	निर्माता

(2) वर्ष 2021-22 एवं वर्ष 2022-23 में नवम्बर 2022 की स्थिति में चैम्प्स प्रणाली अंतर्गत डीजल चलित पंप हेतु पंजीकृत निर्माताओं/ब्रांड की जानकारी:-

स.क्र.	निर्माता/राज्य स्तरीय डिस्ट्रीब्यूटर कंपनी का नाम एवं पता	ब्रांड	विवरण
1	2	3	4
1.	मेसर्स किसान क्राफ्ट मशीन टूल्स प्रा.लि., श्री हुचन्ना टावर क्र. 4, 1 मेन 7-ए, क्रास मारूति ले आउट, दसराहल्ली बेंगलोर-560024	किसान क्राफ्ट	निर्माता
2.	मेसर्स खन्ना स्टील ट्रेडर्स, स्टेशन रोड रायपुर (छ.ग.)	होण्डा	राज्य स्तरीय डिस्ट्रीब्यूटर
3.	मेसर्स गुप्ता मोटर्स, सी-29, सेक्टर 3, देवेन्द्र नगर, रायपुर	एक्वाफ्लो	निर्माता
4.	मेसर्स जी.सी. एग्रीकल्चर स्टोर्स, सक्ती, जिला-जांजगीर चांपा	जीसीए, रीगल, ग्रीन फील्ड, टॉपलैण्ड	निर्माता एवं राज्य स्तरीय डिस्ट्रीब्यूटर
5.	मेसर्स एस.एस. स्टील सेंटर, 1/110 नेहरू कॉम्पलेक्स, व्यापार विहार, बिलासपुर	फील्ड मार्शल	राज्य स्तरीय डिस्ट्रीब्यूटर
6.	मेसर्स एग्रीकेनिक मशीनरी प्रा.लि., रिंग रोड नं. 1, कुशालपुर, रायपुर	इन्द्र मार्शल	राज्य स्तरीय डिस्ट्रीब्यूटर
7.	मेसर्स अजय कृषि केन्द्र, जगदलपुर	सूर्य किरन,	राज्य स्तरीय डिस्ट्रीब्यूटर
8.	मेसर्स एस टेक्नोलॉजी, बिलासपुर	एस	निर्माता
9.	मेसर्स एलाईट एग्रो इंजिनियर्स, रायपुर	सनराईस, बीआर भारत, पॉवर फिल्ड	राज्य स्तरीय डिस्ट्रीब्यूटर
10.	मेसर्स आशुतोष इलेक्ट्रिकल्स, दुर्ग	ग्रिव्स	राज्य स्तरीय डिस्ट्रीब्यूटर
12.	मेसर्स बाम्बे मशीनरी स्टोर्स, रायपुर	फोर्स	निर्माता
13.	मेसर्स देव मोटर्स, गरियाबंद	देवधारा	निर्माता
16.	मेसर्स इंडियन इलेक्ट्रिकल्स, रायपुर	इंडेल्क, किर्लोसकर, उषा	निर्माता एवं राज्य स्तरीय डिस्ट्रीब्यूटर
17.	मेसर्स इंडियन मशीनरी स्टोर्स, बिलासपुर	वी राज एग्रो	निर्माता
18.	मेसर्स माता दी इलेक्ट्रिकल्स, गरियाबंद	स्पीडवेल	राज्य स्तरीय डिस्ट्रीब्यूटर
19.	मेसर्स पार्श्वा डीजल प्रा.लि., राजकोट	एयर मार्शल	निर्माता
20.	मेसर्स रिलायबल डिस्ट्रीब्यूटर, रायपुर	सरोवर	निर्माता
21.	मेसर्स रॉकेट इंजिनियरिंग कोर्पोरेशन प्रा.लि., महाराष्ट्र	कॉमेट	निर्माता
22.	मेसर्स सदर्न एग्रो इंजन प्रा.लि., चेन्नई	विजय विलर्स, विक्ट्री	राज्य स्तरीय डिस्ट्रीब्यूटर

प्रपत्र-स

कोण्डागांव एवं कांकेर जिले में चैम्प्स प्रणाली के माध्यम से स्प्रिंकलर पाईप एवं डीजल पंप से लाभान्वित कृषकों की वर्षवार एवं योजनावार जानकारी

स. क्र.	वर्ष	योजना का नाम	जिला का नाम	स्प्रिंकलर से लभान्वित कृषकों की जानकारी													
														महायोग			
				लाभांवित कृषक संख्या	लागत मूल्य (रू. लाख में)	अनुदान राशि (रू. लाख में)	कृषक अंश राशि (रू. लाख में)	अनुदान प्रतिशत	लाभांवित कृषक संख्या	लागत मूल्य (रू. लाख में)	अनुदान राशि (रू. लाख में)	कृषक अंश राशि (रू. लाख में)	अनुदान प्रतिशत	लाभांवित कृषक संख्या	लागत मूल्य (रू. लाख में)	अनुदान राशि (रू. लाख में)	कृषक अंश राशि (रू. लाख में)
1	2	3	4	5	7	6	8	9	10	12	11	13	14	15	17	16	18
1	वर्ष 2021-22	प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना	कांकेर	354	95.15	51.88	43.27	55%	1	0.35	0.16	0.19	45%	355	95.50	52.04	43.46
			कोण्डागांव	212	55.73	30.44	25.28		4	1.10	0.49	0.61		216	56.83	30.93	25.89
महायोग वर्ष 2021-22				**566**	**150.88**	**82.32**	**68.55**		**5**	**1.45**	**0.65**	**0.80**		**571**	**152.33**	**82.97**	**69.35**
2	वर्ष 2022-23 (दिनांक 30.11.2022 तक)	प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना	कांकेर	690	228.8	125.79	103.01		1	0.39	0.18	0.21		691	229.19	125.97	103.22
			कोण्डागांव	26	8.01	4.36	3.65		0	0.00	0.00	0.00		26	8.01	4.36	3.65
महायोग वर्ष 2022-23 (दिनांक 30.11.2022 तक)				**716**	**236.81**	**130.15**	**106.66**		**1**	**0.39**	**0.18**	**0.21**		**717**	**237.20**	**130.33**	**106.87**

प्रपत्र- द

विधानसभा तारांकित प्रश्न क्र. 460 अंश 'ग' कोण्डागांव एवं कांकेर जिले में चैम्प्स प्रणाली के माध्यम से स्प्रिंकलर पाईप एवं डीजल पंप से लाभान्वित कृषकों की वर्षवार एवं योजनावार जानकारी

स. क्र.	वर्ष	योजना का नाम	जिला का नाम	लाभांवित कृषक संख्या		डीजल चलित पंप से लभान्वित कृषक की जानकारी		
					लागत मूल्य (रू. लाख में)	अनुदान राशि (रू. लाख में)	कृषक अंश राशि (रू. लाख में)	देय अनुदान प्रतिशत
1	2	3	4	6	8	7	8	9
1	वर्ष 2021-22	शाकम्भरी योजना	कांकेर	1	0.28	0.17	0.11	सामग्री की लागत अथवा निर्धारित इकाई लागत का अधिकतम 75 प्रतिशत
2			कोण्डागांव	निरंक				

प्रपत्र-इ

विधानसभा तारांकित प्रश्न क्र. 460 अंश 'ग' कोण्डागांव एवं कांकेर जिले में स्प्रिंकलर पाईप एवं डीजल पंप से लाभान्वित कृषकों की वर्षवार एवं योजनावार जानकारी

क्र.	वर्ष	योजना का नाम	जिला का नाम	सामग्री का नाम	लाभान्वित कृषक संख्या	अनुदान राशि (रू. लाख में)	अनुदान प्रतिशत
1	2	3	4	5	6	7	8
1	2021-22	जिला खनिज न्यास निधि (डीएमएफ)	कांकेर	स्प्रिंकलर सेट	2314	568.09	शत प्रतिशत
2	2022-23			स्प्रिंकलर सेट	1200	258.34	शत प्रतिशत
3	2021-22		कोण्डागांव	निरंक			
4	2022-23						

ifjf'k"V&^ikp^

[i'u l [;k&12¼Ø-&504½ dh Hkkx ^d^ dh tkudkjh]

प्रपत्र

दिनांक 15.12.2022 की स्थिति में उपलब्ध वर्मी कम्पोस्ट एवं सुपर कम्पोस्ट स्टाक की जानकारी

(इकाई मात्रा मेट्रिक टन में)

क्र.	जिला	स्टाक में उपलब्ध वर्मी कम्पोस्ट की मात्रा	स्टाक में उपलब्ध सुपर कम्पोस्ट की मात्रा	कुल स्टॉक की मात्रा
1	2	3	4	5
1	गरियाबंद	939.71	483.57	1423.28
2	धमतरी	1683.63	416.25	2099.88
3	बलौदाबाजार-भाटापारा	792.24	224.89	1017.12
4	महासमुंद	1429.73	6.41	1436.15
5	रायपुर	2023.73	2862.33	4886.06
6	कबीरधाम	2007.56	301.64	2309.21
7	खैरागढ़-छुईखदान-गण्डई	269.61	631.37	900.98
8	दुर्ग	3112.26	661.33	3773.59
9	बालोद	2981.13	329.04	3310.17
10	बेमेतरा	1112.15	665.22	1777.37
11	मोहला-मानपुर-अं.चौकी	858.42	873.39	1731.81
12	राजनांदगांव	773.18	2255.31	3028.48
13	कोरबा	2505.63	295.55	2801.18
14	गौरेला-पेण्ड्रा-मरवाही	564.73	494.38	1059.11
15	जांजगीर चाम्पा	829.56	430.20	1259.77
16	बिलासपुर	1312.63	90.27	1402.90
17	मुंगेली	814.82	488.05	1302.86
18	रायगढ़	1762.76	489.98	2252.74
19	सक्ती	368.61	70.20	438.81
20	सारंगढ़-बिलाईगढ़	770.37	86.87	857.24

क्र.	जिला	स्टाक में उपलब्ध वर्मी कम्पोस्ट की मात्रा	स्टाक में उपलब्ध सुपर कम्पोस्ट की मात्रा	कुल स्टॉक की मात्रा
1	2	3	4	5
21	कोरिया	774.90	106.10	881.00
22	जशपुर	429.20	168.05	597.25
23	बलरामपुर	1045.34	218.66	1264.00
24	मनेन्द्रगढ़-चिरमिरी-भरतपुर	2560.46	1155.90	3716.36
25	सरगुजा	514.70	186.60	701.30
26	सूरजपुर	557.10	563.24	1120.34
27	कांकेर	1340.93	273.85	1614.78
28	कोंडागांव	548.36	2.38	550.74
29	दन्तेवाड़ा	452.55	69.57	522.12
30	नारायणपुर	193.58	10.50	204.08
31	बस्तर	474.52	386.88	861.41
32	बीजापुर	349.14	182.99	532.14
33	सुकमा	549.52	3.30	552.82
योग		**36702.75**	**15484.27**	**52187.02**

ifjf'k"V&^^N**

[i'u l[;k&15¼Ø-&552½ d Hkkx ^^d^^ dh tkudkjh] प्रपत्र

प्रश्नांक 'क' गौठान निर्माण में व्यय राशि की जानकारी

(राशि लाख में)

क्र.	मद/योजना का नाम	व्यय राशि
1	मनरेगा	67018.780
2	स्वच्छ भारत मिशन	668.840
3	14 वां वित्त	5209.640
4	15 वां वित्त	2658.213
5	14 वां एवं 15 वां वित्त	2324.080
6	अधोसंरचना मद	1018.790
7	अनुसूचित जाति प्राधिकरण	283.380
8	बस्तर विकास प्राधिकारण	350.530
9	छ.ग. राज्य ग्रामीण एवं अन्य पिछड़ा वर्ग क्षेत्र विकास प्राधिकरण मद	1420.017
10	आदिवासी विकास प्राधिकरण	0.360
11	एल.डब्लू.ई	69.790
12	लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग (नलकूप)	107.190
13	क्रेडा मद (सोलर पम्प स्थापना)	2139.750
14	रूर्बन	433.641
15	राष्ट्रीय कृषि विकास योजना	730.190
16	राज्य परिवर्तित योजना	210.720
17	मूलभूत	40.000
18	जिला खनिज न्यास	7196.110
19	अन्य गौण खनिज	2.490
20	जनपद विकास निधि	53.300
21	सामान्य मद (नगर निगम एवं नगर पालिका)	166.370
22	पंचायत प्रोत्साहन/पुरस्कार	28.120
23	सी.एस.आर. मद	71.040
24	अन्य	25.510
	योग	**92226.851**

ifjf'k"V&^lkr^
[i'u l[;k&20¼Ø-&691½ d Hkkx ^d^ dh tkudkjh]

प्रपत्र-अ

शिकायत क्रमांक - 01

चारामा निवेश क्षेत्र में प्राप्त शिकायत क्रमांक 01 पर अनुविभागीय अधिकारी (रा.) चारामा के पत्र क्रमांक/1387 /अविअ/शिका./री-3/2021 कांकेर दिनांक 13.07.2021 द्वारा जांच समिति का गठन किया गया था। जांच उपरांत चारामा निवेश क्षेत्र के ग्राम दरगहन स्थित खसरा क्रमांक 147 रकबा 3.79 हे. भूमि में अवैध प्लाटिंग के विरूद्ध गठित समिति द्वारा जांच प्रतिवेदन जिला कार्यालय कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी कांकेर के पत्र क्रमांक /741/कले./अप.कले..स्टेनो/2022 कांकेर दिनांक 05.04.2022 द्वारा आयुक्त बस्तर संभाग जगदलपुर को जांच प्रतिवेदन प्रस्तुत किया गया। जांच पश्चात् दोषी पाये जाने के उपरांत तत्कालीन पटवारी श्री जय प्रकाश जैन के विरूद्ध निलंबन की कार्यवाही की गई है।

शिकायत क्रमांक - 02

कांकेर निवेश क्षेत्र अंतर्गत क्रमांक 02 शिकायत ग्राम माटवाड़ामोदी स्थित खसरा क्रमांक 244 की जानकारी तहसील कार्यालय से दिनांक 23.12.2022 को प्राप्त हुई है, जिसकी जांच प्रक्रियाधीन है।

शिकायत क्रमांक - 03

क्रमांक 03 शिकायत कांकेर नगर के शांति नगर स्थित खसरा क्रमांक 342/1/ग रकबा 21.80 वर्गमीटर (माहेश्वरी बिल्डर्स) के प्रकरण की जांच प्रक्रियाधीन है।

शिकायत क्रमांक - 04

शिकायत क्रमांक 04 विश्राम गृह कांकेर के सामने श्री मनीष परते भूमि खसरा क्रमांक 207/1/7 रकबा 0.3818 हेक्टेयर भूमि पर अवैध निर्माण का शिकायत प्राप्त होने पर जांच कर रिपोर्ट इस कार्यालय के पत्र क्रमांक/4224/दिनांक 02.08.2021 द्वारा रजिस्ट्रार, छत्तीसगढ़ भू-संपदा विनियामक प्राधिकरण (रेरा) शास्त्री चौक, रायपुर को प्रेषित किया गया है।

शिकायत क्रमांक - 05

शिकायत क्रमांक 05 सतगुरू इंफ्रा. प्रोजेक्ट श्रीराम नगर गोकुलधाम सोसाइटी को मुख्य नगर पालिका अधिकारी, नगर पालिका परिषद् कांकेर के आदेश क्रमांक /2147/लो.नि.वि./ न.पा.प./14–15 दिनांक 11.09.2014 द्वारा कांकेर नगर पालिका क्षेत्र के लिए रजिस्ट्रीकरण प्रमाण पत्र जारी किया गया है एवं आदेश क्रमांक 1626/लो.नि.वि./न.पा.प./2017 दिनांक 05.09.2017 द्वारा श्री राम नगर स्थित भूमि खसरा नंबर 142/3, 143/5, 147/4 क, 148/3 एवं 149 कुल रकबा 3.561 हेक्टेयर (8.80 एकड़) पर कालोनी के विकास की अनुमति दी गई है। कलेक्टर कांकेर के पत्र क्रमांक/478/दिनांक 11.04.2022 द्वारा उक्त कालोनाईजर्स के विरूद्ध शासकीय भूमि खसरा नंबर 146, 157 रकबा 1.113 हेक्टेयर पर अतिक्रमण किये जाने की शिकायत पत्र प्राप्त होने पर जांच उपरांत कालोनाईजर्स द्वारा नगर पालिका अधिनियम, 1961 के नियम, 2013 के नियमों का उल्लंघन किये जाने पर मुख्य नगर पालिका अधिकारी कांकेर के आदेश क्रमांक 212 दिनांक 22.04.2022 के द्वारा रजिस्ट्रीकरण प्रमाण पत्र निरस्त किया गया। तत्पश्चात आवेदक द्वारा अपील आवेदन प्रस्तुत किये जाने पर नगर पालिका नियम, 2013 की कंडिका 7 (1) (2) (3) के तहत आदेश क्रमांक/234/लो.नि.वि./न.पा.प./2022 दिनांक 26.04.2022 द्वारा उक्त आदेश को शून्य किया गया है। सतगुरू इंफ्रा. प्रोजेक्ट श्रीराम नगर गोकुलधाम सोसाइटी का कालोनाईजर्स लायसेंस निरस्तीकरण शून्य होने के उपरांत उक्त फर्म द्वारा 13.09.2022, 15.09.2022 एवं 27.10.2022 को 03 रजिस्ट्री किया गया है। उक्त रजिस्ट्री के नामांतरण पर वर्तमान में तहसीलदार कांकेर द्वारा रोक लगा दी गई है।

प्रपत्र–ब

क्रमांक	जिला	वर्ष	शिकायत दिनांक	विरुद्ध	खसरा क्रमांक	शिकायतकर्ता	की गई कार्यवाही
1	2	3	4	5	6	7	8
1	कांकेर	2020-21	16-02-21	सुनील महेश्वरी	राजापारा, श्रीराम नगरवार्ड शांति नगर एवं जैसकर्रा कांकेर	तेज प्रताप सिंह,जनकपुर वार्ड	खसरा क्रमांक उल्लेख नहीं एवं जिनके विरुद्ध शिकायत की गयी है उनका पता उल्लेख नही होने के कारण प्रकरण पर कार्यवाही नही की गई है। आवेदन नस्तीबद्ध किया गया
2	कांकेर	2021-22	08-10-21	श्रीमती गोदावरी पति रुपेन्द्र सिन्हा	292 आतुरगांव	तेज प्रताप सिंह,जनकपुर वार्ड	अवैध कॉलोनी पर कार्यवाही करने का अधिकार कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी के पास निहीत है। अतः आवश्यक कार्यवाही करने हेतु कलेक्टर-कांकेर की ओर मूलतः प्रेषित पत्र क्रमांक- 2051 दिनांक 13.10.2021 ।
3	कांकेर		15-06-21	मनीष पर्ते	207/1/7 उदय नगर वार्ड कांकेर	सतीश कुमार यादव सुभाष नगर	अवैध कॉलोनी पर कार्यवाही करने का अधिकार कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी के पास निहीत है। अतः आवश्यक कार्यवाही करने हेतु कलेक्टर - कांकेर की ओर मूलतः प्रेषित पत्र क्रमांक-1303 दिनांक 06.07.2020।
4	कांकेर		28-09-21	श्री ममता ठाकुर व्दारा चारामा रास्ट्रीय राज मार्ग	1021 चारामा	जगदीश प्रसाद ठाकुर	अवैध कॉलोनी पर कार्यवाही करने का अधिकार कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी के पास निहीत है। अतः आवश्यक कार्यवाही करने हेतु कलेक्टर-कांकेर की ओर मूलतः प्रेषित पत्र क्रमांक- 2041 दिनांक 08.10.2021 ।
5	कांकेर	2022-23	07-10-21	दिपेश जोशी एवम तपेश जोशी	147 जैसकर्रा कांकेर	सतीश कुमार यादव सुभाष नगर	अवैध कॉलोनी पर कार्यवाही करने का अधिकार कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी के पास निहीत है। अतः आवश्यक कार्यवाही करने हेतु कलेक्टर - कांकेर की ओर मूलतः प्रेषित पत्र क्रमांक- 1400 दिनांक 14.10.2022।
6	कांकेर		03-10-22	सुनील कुमार महेश्वरी	24 श्रीराम कॉलोनी कांकेर	तेज प्रताप सिंह,जनकपुर वार्ड	अवैध कॉलोनी पर कार्यवाही करने का अधिकार कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी के पास निहीत है। अतः आवश्यक कार्यवाही करने हेतु कलेक्टर - कांकेर की ओर मूलतः प्रेषित पत्र क्रमांक- 1381 दिनांक 07.10.2022 ।
7	कांकेर		29-09-22	हेमलता महेश्वरी	342/1342/1/	तेज प्रताप सिंह,जनकपुर वार्ड	अवैध कॉलोनी पर कार्यवाही करने का अधिकार कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी के पास निहीत है। अतः आवश्यक कार्यवाही करने हेतु कलेक्टर - कांकेर की ओर मूलतः प्रेषित पत्र क्रमांक-1367 दिनांक 06.10.2022
8	कांकेर		29-09-22	वगैरह	244	सुनील पुरी गोस्वामी	अवैध कॉलोनी पर कार्यवाही करने का अधिकार कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी के पास निहीत है। अतः आवश्यक कार्यवाही करने हेतु कलेक्टर - कांकेर की ओर मूलतः प्रेषित पत्र क्रमांक- 1363 दिनांक 06.10.2022 ।
9	कांकेर		29-09-22	महेश्वरी बिल्डर्स		तेज प्रताप सिंह,जनकपुर वार्ड	अवैध कॉलोनी पर कार्यवाही करने का अधिकार कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी के पास निहीत है अतः आवश्यक कार्यवाही करने हेतु कलेक्टर - कांकेर की ओर मूलतः प्रेषित पत्र क्रमांक- 1370 दिनांक 06.10.2022।
10	कांकेर		01-08-22	वगैरह ,समाचार पत्र में प्रकाशित	150 शिवनगर वार्ड	सतीश कुमार यादव एवम सुभाष नगर	अवैध कॉलोनी पर कार्यवाही करने का अधिकार कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी के पास निहीत है। अतः आवश्यक कार्यवाही करने हेतु कलेक्टर-कांकेर की ओर मूलतः प्रेषित पत्र क्रमांक- 1086 दिनांक 08.08.2022 ।

प्रपत्र–स

जिला - कांकेर

क्रमांक	प्रकरण क्रमांक	प्रमोटर का नाम	प्रोजेक्ट का नाम	धारा	प्राधिकरण द्वारा जरी निर्देशों का विवरण
1	2	3	4	5	6
1	SM-PRO-2022-01739	मेसर्स सतगुरू इन्फ्रा प्रोजेक्ट, प्रोपराईटर-श्री राजेश कुमार देवनानी, सुदर्शन कुमार देवनानी, श्री श्याम लाल माखीजा, श्री गोपाल दास मखीजा, पता-नया बस स्टैण्ड, सिटी सेन्टर, जिला-कांकेर (छ.ग.)	गोकुलधाम प्रोजेक्ट	धारा-3	**आदेश दिनांक-18.08.2022** प्रश्नाधीन प्रकरण में धारा-7 अंतर्गत कोई कार्यवाही करने की आवश्यकता प्रतीत नहीं होती है। लेकिन अनावेदक को यह चेताया जाता है कि वह भविष्य रेरा अधिनियम के समस्त प्रावधानों का अनुपालन करते हुये प्रोजेक्ट का विकास कार्य निर्धारित समयावधि में पूर्ण करना सुनिश्चित करे।
2	M-COM-2022-01685	श्री रूपेन्द्र बैस	रामेश्वरम	धारा-11	प्रकरण विचाराधीन
3	M-COM-2021-01560	राजेन्द्र कुमार जैन	अरिहंत सिटी	धारा-11	प्रकरण विचाराधीन

जिला - कोंडागांव

क्रमांक	प्रकरण क्रमांक	प्रमोटर का नाम	प्रोजेक्ट का नाम	धारा	प्राधिकरण द्वारा जरी निर्देशों का विवरण
1	2	3	4	5	6
1	M-COM-2022-01676	मोहम्मद यासीन मोहम्म्द नगर कोंडागांव (छ.ग.)	मो. नगर फेस-1	धारा-11	प्रकरण विचाराधीन
2	M-COM-2022-01677	मोहम्मद यासीन मोहम्म्द नगर कोंडागांव (छ.ग.)	व्ही. आई.पी नगर	धारा-11	प्रकरण विचाराधीन
3	M-COM-2022-01682	मोहम्मद यासीन मोहम्म्द नगर कोंडागांव (छ.ग.)	मोर्डन ग्रीन सिटी	धारा-11	प्रकरण विचाराधीन
4	M-COM-2022-01688	इंदिरा गिराडा	इंदिरा बालाजी नगर	धारा-11	प्रकरण विचाराधीन
5	M-COM-2022-01691	श्री टीकम चंद जैन, पता-श्री चम्पालाल जैन, मकान नं.-167, भेलवापदार, जिला-कोण्डागांव (छ.ग)	कमला रतन विहार	धारा-11	आदेश दिनांक 10.06.2022 (01) अनावेदक द्वारा प्रस्तुत शपथ पत्र के आधार पर विवादित प्रोजेक्ट का पंजीयन शुल्क राजसात कर प्रोजेक्ट का पंजीयन क्रमांक-PCGRERA 2011 19001072 आदेश दिनाँक से प्रतिसंहरित किया जाता है। अनावेदक विवादित प्रोजेक्ट का विकास व विक्रय पुनः प्रारंभ करने के पूर्व भू-संपदा (विनियमन और विकास) अधिनियम, 2016 के प्रावधानों अंतर्गत विवादित प्रोजक्ट का छ.ग. रेरा में पंजीयन कराना सुनिश्चित करें। (02) रजिस्ट्रार , छ.ग. रेरा को यह निर्देशित किया जाता है कि आदेश की प्रति को आवश्यक कार्य वाही हेतु मुख्य नगरपालिका अधिकारी, नगरपालिका, जिला-कोण्डागांव तथा सहायक संचालक, नगर तथा ग्राम निवेश कार्यालय, जिला-कोण्डागांव (छ.ग.) को प्रेषित करें। रजिस्ट्रार, छ.ग. रेरा प्रतिसंहरित प्रोजेक्ट की जानकारी वेबपोर्टल पर भी अपलोड करना सुनिश्चित करें।

ifjf'k"V&^^vkB^^

[i'u l[;k&21¼Ø-&695½ d Hkkx ^^d^^ l ^^x^^ dh tkudkjh]

प्रपत्र–''अ''

बस्तर संभागान्तर्गत जिलों में संचालित छात्रावास/आश्रमों की मरम्मत/रख–रखाव हेतु वर्षवार आय व्यय की जिलेवार जानकारी

(राशि रू.लाखों में)

क्र	जिले का नाम	वित्तीय वर्ष			
		2019–20		2020–21	
		प्राप्त आबंटन राशि	व्यय राशि	प्राप्त आबंटन राशि	व्यय राशि
1	बस्तर	173.95	173.95	225.39	225.39
2	कांकेर	130.90	130.90	284.76	284.76
3	कोण्डागांव	88.63	88.63	269.22	269.22
4	दंतेवाड़ा	102.38	102.38	319.36	319.36
5	सुकमा	108.71	108.71	250.00	250.00
6	नारायणपुर	86.00	86.00	223.93	223.93
7	बीजापुर	238.89	238.89	267.75	267.75
	योग	**929.46**	**929.46**	**1840.41**	**1840.41**

प्रपत्र–"ब"

बस्तर संभाग अन्तर्गत वर्ष 2019–20 एवं 2020–21 में मरम्मत/रख–रखाव कार्य कराये गये छात्रावास/आश्रमों की संख्या की जिलेवार जानकारी

क्र.	जिले का नाम	वर्ष 2019–20	वर्ष 2020–21
		आश्रम/छात्रावासों की संख्या	आश्रम/छात्रावासों की संख्या
1.	2.	3.	4.
1	बस्तर	73	13
2	कांकेर	46	47
3	कोण्डागांव	34	15
4	दंतेवाड़ा	44	37
5	सुकमा	68	10
6	नारायणपुर	31	12
7	बीजापुर	151	53
	योग	**447**	**187**

प्रपत्र – ''स''

जिला बस्तर अंतर्गत वर्ष 2019–20 एवं 2020–21 में विभागीय छात्रावास आश्रमों के मरम्मत /रखरखाव हेतु व्यय राशि की जानकारी

(राशि रू. लाख में)

क्रं.	छात्रावास/आश्रम का नाम	व्यय राशि
1	2	3
	वर्ष 2019–20	
1	बालक छात्रावास बास्तानार	7.39
2	प्री.मे. बालक छात्रावास सोरगांव	1.747
3	कन्या आश्रम भानपुरी	1.60
4	बालक आश्रम पालानार	2.22
5	बालक आश्रम पिच्चीकोडेर	16.36
6	बालक आश्रम करपावण्ड	6.480
7	कन्या आश्रम पुजारीपारा किलेपाल	6.480
8	बालक आश्रम नाकटोका	4.260
9	कन्या आश्रम रेटावण्ड	5.450
10	कन्या आश्रम सोनारपाल	2.10
11	अनुसूचित जाति कन्या छात्रावास जगदलपुर	4.68
12	कन्या छात्रावास बड़े किलेपाल	4.74
13	बालक छात्रावास बड़े बोदेनार	4.60
14	बालक आश्रम मूतनपाल	4.28
15	पो0मे0 अनु0 जनजाति बालक छात्रावास धरमपुरा	2.54
16	प्री.मे. बालक छात्रावास मांदलापाल	0.4965
17	प्री.मे. कन्या छात्रावास ढोढरेपाल	0.4990
18	प्री.मे. बालक छात्रावास बकावण्ड	0.41282
19	प्री.मे. विशिष्ट बालक छात्रावास जगदलपुर	0.10855
20	पं. नेहरू बालक छात्रावास नयापारा जगदलपुर	0.47963
21	प्री.मे. बालक छात्रावास कोड़ेनार	1.90728
22	प्री.मे. बालक छात्रावास केशरपाल	4.898
23	प्री.मे. बालक छात्रावास पिपलावण्ड	1.11472
24	बालक आश्रम जामगांव	2.698
25	बालक आश्रम छिन्दावाड़ा	1.75
26	बालक आश्रम पेदावाड़ा	4.86
27	बालक आश्रम गुमगा	0.49
28	कन्या आश्रम मुण्डागांव	0.25
29	कन्या आश्रम चमिया	0.92
30	कन्या आश्रम पारापुर	0.45
31	बालक आश्रम ईरपा	0.47
32	बालक आश्रम तिरथुम	0.49

(राशि रू. लाख में)

क्रं.	छात्रावास/आश्रम का नाम	व्यय राशि
33	बालक आश्रम बुरगुम	1.098
34	बालक आश्रम शाला कापानार	4.612
35	बालक आश्रम चिड़पाल	7.788
36	बालक आश्रम बिसपुर	4.550
37	कन्या आश्रम शाला चितापुर	4.293
38	कन्या आश्रम शाला सेड़वा	4.312
39	बालक आश्रम तिरिया	4.669
40	प्री.मे. बालक छात्रावास रायकोट	1.664
41	कन्या आश्रम मधोता	0.488
42	बालक आश्रम रतेंगा	0.486
43	बालक आश्रम मारीगुड़ा	1.286
44	कन्या आश्रम बड़े बोदेनार	0.959
45	कन्या आश्रम चिंगपाल	0.054
46	बालक आश्रम छोटे किलेपाल	1.435
47	बालक आश्रम मूतनपाल	0.454
48	बालक आश्रम गड़दा	0.957
49	कन्या आश्रम मारीकोडेर	1.049
50	कन्या आश्रम पारापुर	1.392
51	कन्या आश्रम बागमुण्डी पनेड़ा	3.88
52	बालक आश्रम वाहनपुर	2.757
53	बालक आश्रम जामगांव	0.767
54	बालक आश्रम एर्राकोट	0.950
55	बालक आश्रम महकापाल	0.346
56	बालक छात्रावास फरसागुड़ा	0.45141
57	बालक छात्रावास मांदलापाल	0.48898
58	बालक छात्रावास ईच्छापुर	0.49478
59	कन्या आश्रम देऊरगांव	0.49671
60	कन्या आश्रम बेसोली म	0.48551
61	बालक छात्रावास खोरखोसा	0.48821
62	पो0मे0 कन्या छात्रावास धरमपुरा	8.52577
63	प्री.मे. बालक छात्रावास आड़ावाल	0.48916
64	प्री.मे. बालक छात्रावास लामकेर	0.48916
65	प्री.मे. कन्या छात्रावास कुंगारपाल	0.48916
66	पो.मे. कन्या छात्रावास	0.987
67	प्री.मे. बालक छात्रावास फरसागुड़ा	0.32705
68	प्री.मे. कन्या छात्रावास दरभा	0.436
69	प्री.मे. बालक छात्रावास बकावण्ड	1.296
70	प्री.मे. बालक छात्रावास चिऊरगांव	1.0335

(राशि रू. लाख में)

क्रं.	छात्रावास/आश्रम का नाम	व्यय राशि
71	प्री.मे. बालक छात्रावास सालेमेटा	0.54153
72	प्री.मे. बालक छात्रावास केशरपाल	0.38
73	पिछड़ा वर्ग कन्या छात्रावास जगदलपुर	8.58
	योग:–	**173.95**
	वर्ष 2020–21	
1	कन्या आश्रम कोलेंग	23.15
2	बालक आश्रम कोलेंग	8.25
3	100 सीटर कन्या आश्रम शाला बागमुण्डी पनेड़ा	25.00
4	50 सीटर प्री.मे. कन्या छात्रावास बड़े किलेपाल	23.28
5	50 सीटर प्री.मे. कन्या छात्रावास लोहण्डीगुड़ा	19.64
6	50 सीटर प्री.मे. कन्या छात्रावास दरभा	19.08
7	50 सीटर प्री.मे. कन्या छात्रावास मावलीभाटा	24.81
8	50 सीटर प्री.मे. कन्या छात्रावास करपावण्ड	24.50
9	150 सीटर प्री.मे. कन्या छात्रावास धरमपुरा	24.70
10	50 सीटर प्री.मे. कन्या आश्रम विश्रामपुरी	8.29
11	प्री.मे. कन्या छात्रावास भवन तोकापाल	4.85
12	प्री.मे. बालक छात्रावास करंजी	3.21
13	प्री.मे. अनुसूचित जाति बालक छात्रावास जगदलपुर	16.63
	योग :–	**225.39**

दिसम्बर–जनवरी, 2022–23 सत्र में प्राप्त प्रश्नों के उत्तर में संशोधन तथा प्रश्नोत्तर सूची से संबंधित शुद्धि पत्रों की सूची

क्रमांक	दिनांक	प्रश्न संख्या (क्रमांक)	विभाग का नाम	संशोधन
1	दिनांक 02 जनवरी, 2023 का शुद्धि			
1	3-Jan-2023	ता.प्र.सं.–01 (क्र.–440)	खेल एवं युवा कल्याण	संशोधन
2	3-Jan-2023	ता.प्र.सं.–06 (क्र.–432)	लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण	संशोधन
3	3-Jan-2023	ता.प्र.सं.–15 (क्र.–242)	खेल एवं युवा कल्याण	संशोधन
4	3-Jan-2023	ता.प्र.सं.–16 (क्र.–21)	लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण	संशोधन
5	4-Jan-2023	ता.प्र.सं–03 (क्र.–335)	खाद्य नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण	संशोधन
6	4-Jan-2023	ता.प्र.सं.–17 (क्र.–05)	लोक निर्माण	संशोधन
7	दिनांक 04 जनवरी, 2023 का शुद्धि पत्र			
7	5-Jan-2023	ता.प्र.सं.–01 (क्र.–487)	महिला एवं बाल विकास	संशोधन
8	5-Jan-2023	ता.प्र.सं.–15 (क्र.–572)	महिला एवं बाल विकास	संशोधन

छत्तीसगढ़ विधानसभा सचिवालय

शुद्धि–पत्र

सोमवार, दिनांक 2 जनवरी, 2023 की प्रश्नोत्तर सूची में मुद्रित निम्नलिखित अशुद्धियों को शुद्ध करके पढ़ा जावे :–

दिनांक 2 जनवरी, 2023 की प्रश्नोत्तर सूची में मुद्रित **तारांकित प्रश्न संख्या–2 (क्र.–40) एवं परिवर्तित अतारांकित प्रश्न संख्या–4 (क्र.–43) में श्रीमती याशोदा निलाम्बर वर्मा के स्थान पर श्रीमती यशोदा निलाम्बर वर्मा संशोधित कर** पढ़ा जावे।

स्थान : विधानसभा भवन,
रायपुर
दिनांक : 1 जनवरी, 2023

दिनेश शर्मा
सचिव
छत्तीसगढ़ विधानसभा

माननीय अध्यक्ष महोदय,

आज दिनांक 03.01.2023 की प्रश्नोत्तर सूची के पृष्ठ क्रमांक 1 में मुद्रित तारांकित प्रश्न संख्या 01 (क्रमांक 440) में, मैं निम्नानुसार संशोधन करना चाहता हूं :–

प्रश्नोत्तर सूची में मुद्रित उत्तर के भाग (ग) एवं (घ) में

(ग) योजना के क्रियान्वयन हेतु शासन द्वारा जारी मार्गदर्शिका में किये गये प्रावधान के अधीन राशि दी गई

(घ) क्लबों को आवंटित राशि के व्यय हेतु क्रय की व्यवस्था नहीं है, अतः भण्डार क्रय नियम के प्रावधान आकर्षित नहीं होते

के स्थान पर निम्नानुसार पढ़ा जावें :–

(ग) योजना के क्रियान्वयन हेतु शासन द्वारा जारी नियमावली/मार्गदर्शिका में किये गये प्रावधान के अधीन राशि दी गई

(घ) जी हां।

(उमेश पटेल)
मंत्री
विज्ञान और प्रौद्योगिकी

(उमेश पटेल)
मंत्री
उच्च शिक्षा, कौशल विकास तकनीकी
शिक्षा एवं रोजगार,
खेल एवं युवा कल्याण विभाग

प्रश्नों में संशोधन पढ़ने का प्रारूप

मान. अध्यक्ष महोदय,

आज दिनांक 03.01.2023 की प्रश्नोत्तर सूची के पृष्ठ कमांक 3 में मुद्रित तारांकित प्रश्न संख्या 6 कमांक 432 में मैं निम्नानुसार संशोधन करना चाहता हूॅ :–

प्रश्नोत्तर सूची में मुद्रित उत्तर के भाग (क) में :–

''जानकारी संलग्न प्रपत्र अनुसार।''

के स्थान पर कृपया निम्नानुसार संशोधित उत्तर पढ़ा जावे :–

''जानकारी संलग्न संशोधित प्रपत्र अनुसार।''

(टी. एस. सिंहदेव)
मंत्री,
छत्तीसगढ़ शासन,
लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण,
चिकित्सा शिक्षा, बीस सूत्रीय कार्यान्वयन,
वाणिज्यिक कर (जी.एस.टी)

संशोधित प्रपत्र

(अ) संचालनालय स्वास्थ्य सेवायें की जानकारी

क्र.	जिला का नाम	दैनिक वेतन भोगी/अनियमित/कलेक्टर दर /संविदा की संख्या
1	रायपुर	1723
2	बलौदाबाजार भाटापारा	506
3	गरियाबंद	406
4	धमतरी	688
5	कबीरधाम	592
6	महासमुंद	512
7	राजनांदगाँव	688
8	दुर्ग	1160
9	बालोद	558
10	बेमेतरा	346
11	बिलासपुर	876
12	गौरेला–पेण्ड्रा– मरवाही	173
13	मुंगेली	387
14	कोरबा	732
15	रायगढ़	699
16	जांजगीर–चांपा	626
17	जगदलपुर	747
18	कोण्डागांव	607
19	बीजापुर	407
20	कांकेर	848
21	दंतेवाड़ा	514
22	सुकमा	281
23	नारायणपुर	307
24	सरगुजा	638
25	बलरामपुर	595
26	सूरजपुर	626
27	कोरिया	688
28	जशपुर	699

(ब) नियंत्रक खाद्य एवं औषधि प्रशासन की जानकारी – दैनिक वेतन भोगी/अनियमित/कलेक्टर दर/संविदा पर कार्य कर रहे अधिकारी व कर्मचारी की संख्या कुल 26 है। जिले में पद स्वीकृत नहीं है।

माननीय अध्यक्ष महोदय,

आज दिनांक 03.01.2023 की प्रश्नोत्तर सूची के पृष्ठ क्रमांक 5 एवं 6 में मुद्रित तारांकित प्रश्न संख्या 15 (क्रमांक 242) में, मैं निम्नानुसार संशोधन करना चाहता हूं :–

प्रश्नोत्तर सूची में मुद्रित उत्तर में

प्रश्नाधीन अवधि अंतर्गत खेल एवं युवा कल्याण विभाग द्वारा पामगढ़ विधानसभा क्षेत्र में कोई कार्य नहीं किया गया। विभाग द्वारा विकास खण्ड स्तरीय महिला खेल प्रतियोगिता, विकासखण्ड स्तरीय युवा महोत्सव, 2021–22, विकासखण्ड स्तरीय युवा महोत्सव, 2022–23 एवं राजीव युवा मितान क्लबों का गठन एवं छत्तीसगढ़िया ओलम्पिक खेलों का आयोजन किया गया।

के स्थान पर निम्नानुसार पढ़ा जावें :–

प्रश्नाधीन अवधि अंतर्गत खेल एवं युवा कल्याण विभाग द्वारा पामगढ़ विधानसभा क्षेत्र में विकास खण्ड स्तरीय महिला खेल प्रतियोगिता, विकासखण्ड स्तरीय युवा महोत्सव, 2021–22, विकासखण्ड स्तरीय युवा महोत्सव, 2022–23 एवं राजीव युवा मितान क्लबों का गठन एवं छत्तीसगढ़िया ओलम्पिक खेलों का आयोजन किया गया।

(उमेश पटेल)
(उमेश पटेल)
मंत्री
उच्च शिक्षा, कौशल विकास तकनीकी
शिक्षा एवं रोजगार, विज्ञान और प्रौद्योगिकी,
खेल एवं युवा कल्याण विभाग
मंत्री
खेल एवं युवा कल्याण

माननीय अध्यक्ष महोदय,

आज दिनांक 03.01.2023 की प्रश्नोत्तर सूची के पृष्ठ 06 में मुद्रित तारांकित प्रश्न संख्या-16 (क्रमांक 21) में, मैं निम्नानुसार संशोधन करना चाहता हूँ :

प्रश्नोत्तर सूची में मुद्रित उत्तर के भाग (क) में :-

(क) प्रदेश के शासकीय अस्पतालों में गंभीर बीमारियों के ईलाज हेतु 05 जिलों मे क्रिटिकल केयर यूनिट बनाने का प्रस्ताव है। इस पर कुल रूपये 11,875.00 लाख राशि खर्च होनी है।

के स्थान पर कृपया निम्नानुसार संशोधित उत्तर पढ़ा जावें :-

(क) प्रदेश के शासकीय अस्पतालों में गंभीर बीमारियों के ईलाज हेतु 09 जिलों मे क्रिटिकल केयर यूनिट बनाने का प्रस्ताव है। इस पर कुल राशि रूपये 21,375.00 लाख का खर्च होनी है।

(टी. एस. सिंहदेव)
मंत्री ,
छत्तीसगढ़ शासन,
लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण,
चिकित्सा शिक्षा, बीस सूत्रीय कार्यान्वयन,
वाणिज्यिक कर (जी.एस.टी)

प्रश्नों में संशोधन

माननीय अध्यक्ष महोदय,

आज दिनांक 04.01.2023 की प्रश्नोत्तर सूची के पृष्ठ क्रमांक 02 में मुद्रित तारांकित प्रश्न संख्या 03 (*क्रमांक 335) में मैं निम्नानुसार संशोधन करना चाहता हूँ :-

प्रश्नोत्तर सूची में मुद्रित उत्तर के भाग (ख) में "11.32 टन"

के स्थान पर कृपया निम्नानुसार संशोधित उत्तर पढ़ा जावें :-

"11.32 लाख टन"

शेष मुद्रित जानकारी यथावत् पढ़ी जावे।

हस्ताक्षर एवं पदनाम
(अमरजीत भगत)
(मा. मंत्री)
छ.ग. शासन,
खाद्य नागरिक आपूर्ति, उपभोक्ता संरक्षण,
योजना आर्थिक, सांख्यिकी एवं
संस्कृति विभाग.

प्रश्नों में संशोधन पढ़ने का प्रारुप

माननीय अध्यक्ष महोदय,

आज दिनांक 04.01.2023 की प्रश्नोत्तर सूची के पृष्ठ क्रमांक 06 में मुद्रित तारांकित प्रश्न संख्या 17 (क्रमांक–05) में, मैं निम्नानुसार संशोधन करना चाहता हूँ :–

प्रश्नोत्तर सूची में मुद्रित उत्तर से संबंधित प्रपत्र के कॉलम 05 में कार्यादेश दिनांक 18.04.2016 दर्शित है, के स्थान पर दिनांक 17.05.2017 पढ़ा जावे।

(ताम्रध्वज साहू)
मंत्री,
लोक निर्माण विभाग

संशोधित प्रपत्र

विधानसभा तारांकित प्रश्न क्रमांक 05
द्वारा :– माननीय श्री सौरभ सिंह, सदस्य विधानसभा
विषय – बलौदा बाईपास निर्माण कार्य

क्र.	सड़क का नाम एवं लंबाई	ठेकेदार का नाम	ठेके की लागत (रू.लाख में)	कार्य पूर्ण करने की समयावधि	ठेकेदार को दिनांक 05.12.2022 तक भुगतान की गई राशि (रू.लाख में)	भुगतान के एवज में पूर्ण कार्य का प्रतिशत
1	2	3	4	5	6	7
1	जिला जांजगीर चांपा के बलौदा बायपास बलौदा रामपुर चारपारा शनिचराडीह मार्ग लं.– 6.60 कि.मी. (सीपत–बलौदा–कोरबा मार्ग कि.मी. 19/2 से 22/6) (वास्तविक लं. 1/2 से7/4(100) = 6.30 कि.मी.	मेसर्स आदित्य कन्स्ट्रक्शन	1706.47	18 माह वर्षाऋतु सहित कार्यादेश दिनांक 17.05.2017	515.92	भौतिक प्रगति – 41.74 प्रतिशत वित्तीय प्रगति – 30.02 प्रतिशत
	योग :– 1 कार्य		**1706.47**		**515.92**	

प्रमुख अभियंता
लोक निर्माण विभाग
नवा रायपुर, अटल नगर (छ.ग.)

छत्तीसगढ़ विधानसभा सचिवालय

शुद्धि–पत्र

बुधवार, दिनांक 4 जनवरी, 2023 की प्रश्नोत्तर सूची में मुद्रित निम्नलिखित अशुद्धियों को शुद्ध करके पढ़ा जावे :–

दिनांक 4 जनवरी, 2023 की प्रश्नोत्तर सूची में मुद्रित **तारांकित प्रश्न संख्या–18 (क्र.–42) एवं अतारांकित प्रश्न संख्या–8 (क्र.–111) तथा अतारांकित प्रश्न संख्या–49 (क्र.–431) में श्रीमती याशोदा निलाम्बर वर्मा के स्थान पर श्रीमती यशोदा निलाम्बर वर्मा संशोधित कर** पढ़ा जावे।

स्थान : विधानसभा भवन,
रायपुर
दिनांक : 3 जनवरी, 2023

दिनेश शर्मा
सचिव
छत्तीसगढ़ विधानसभा

प्रश्नों में संशोधन

माननीय अध्यक्ष महोदय,

आज दिनांक 05/01/2023 की प्रश्नोत्तर सूची में पृष्ठ क्रमांक 1 में मुद्रित तारांकित प्रश्न संख्या 1 (*क्रमांक 487) के **परिशिष्ट–एक** में, मैं निम्नानुसार सशोधन करना चाहती हूँ:–

प्रपत्र के सरल कमांक व कॉलम जहां संशोधन किया जाना है	**पूर्व मे प्रेषित जानकारी**	**संशोधित जानकारी**
क्रमांक 5 के कॉलम कमांक 2	छत्तीसगढ़ राज्य बाल कल्याण परिषद द्वारा संचालित बालगृह माना केम्प रायपुर	छत्तीसगढ़ राज्य बाल कल्याण परिषद माधव राव सप्रेशाला परिसर, बिजली ऑफिस के पास बूढ़ापारा रायपुर
कमांक 8 के कॉलम कमांक 2	प्रतिज्ञा विकास संस्थान क्वा.नं.–231,पंचशील एकेडमी के पास, मुक्त नगर	प्रतिज्ञा विकास संस्थान क्वा.नं.–231, पंचशील एकेडमी के पास, मुक्त नगर, पद्मनाभपुर दुर्ग
कमांक 9 के कॉलम कमांक 2	एस.ओ.एस. चिल्ड्रिन विलेज्स ऑफ इंडिया, एस.ओ.एस.	एस.ओ.एस. चिल्ड्रिन विलेज्स ऑफ इंडिया, एस.ओ.एस. बालग्राम, चौथी बटालियन कार्यालय के पास, माना कैम्प, रायपुर

(श्रीमती अनिला भेड़िया)
मंत्री,
महिला एवं बाल विकास

प्रश्नों में संशोधन

माननीय अध्यक्ष महोदय,

आज दिनांक 05.01.2023 की प्रश्नोत्तर सूची के पृष्ठ क्रमांक **7** में मुद्रित तारांकित प्रश्न संख्या 15 (*क्रमांक 572) में मैं निम्नानुसार संशोधन करना चाहती हूँ :–

पामगढ़ विधानसभा क्षेत्र में 359 आंगनबाड़ी व 36 मिनी आंगनबाड़ी केन्द्र कुल 395 आंगनबाड़ी केन्द्र संचालित है। 56 आंगनबाड़ी केन्द्र व 14 मिनी आंगनबाड़ी केन्द्र, कुल 70 आंगनबाड़ी केन्द्र भवन विहीन हैं। 50 आंगनबाड़ी केन्द्र व 14 मिनी आंगनबाड़ी केन्द्र, कुल 64 आंगनबाड़ी केन्द्र किराये के भवन में संचालित हैं।

के स्थान पर कृपया निम्नानुसार संशोधित उत्तर पढ़ा जावें :–

56 आंगनबाड़ी केन्द्र के स्थान पर 85 आंगनबाड़ी केन्द्र व 14 मिनी आंगनबाड़ी केन्द्र के स्थान पर 18 मिनी आंगनबाड़ी केन्द्र, कुल 70 आंगनबाड़ी केन्द्र के स्थान पर कुल 103 आंगनबाड़ी केन्द्र भवन विहीन हैं पढ़ा जावे।

शेष जानकारी यथावत है।

(श्रीमती अनिला भेड़िया)
मंत्री,
महिला एवं बाल विकास